2.0 संस्करण/ जून, 2018

अंतरिक्ष विभाग वित्त शक्ति पुस्तिका

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

अंतरिक्ष विभाग

पाँचवां संस्करण 2016

[31 मई, 2018 तक जारी सभी संशोधन शामिल]

आमुख

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) **'वित्त शक्ति पुस्तिका'** सामान्य प्रावधानों और वित्तीय प्रावधानों का एक सार-संग्रह है जिसका वित्तीय प्रकृति वाले मामलों का निपटान करते समय अं.वि./इसरो के केंद्रों/इकाइयों/परियोजनाओं द्वारा अनुपालन किया जाता है।

2. पहली बार 'वित्त शक्ति पुस्तिका' 1975 में जारी की गई थी। इसके दूसरा, तीसरा और चौथा संस्करण क्रमश: 1982, 1989 एवं 2003 में जारी किए गए। विगत तेरह वर्षों में अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों के माध्यम से 'वित्त शक्ति पुस्तिका' के अनेक प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, वित्त शक्ति पुस्तिका के अनेक वर्तमान नियम अप्रासंगिक हो गए हैं। भारत सरकार ने भी सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.), 1963 में संशोधन किया था और सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.), 2005 के रूप में इसका संशोधित रूपांतर प्रकाशित किया था। इन प्रगतियों के कारण वर्तमान 'वित्त शक्ति पुस्तिका 2003' की समीक्षा करने हेतु विभाग को एक समिति का गठन करने की आवश्यकता महसूस हुई।

3. इस समिति में निदेशक (बजट), अं.वि. के सक्षम नेतृत्व में तथा विभाग के सक्रिय सदस्यों के सहयोग से वर्तमान 'वित्त शक्ति पुस्तिका' की व्यापक समीक्षा की तथा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसे अंतरिक्ष आयोग के वित्त सदस्य द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतरिक्ष विभाग की प्रस्तावित संशोधित वित्त शक्ति पुस्तिका में निहित प्रावधान सा.वि.नि., 2005 में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा प्रावधानों के बारे में वित्त मंत्रालय के वर्तमान निर्देशों के अनुरूप हैं, अंतरिक्ष आयोग ने 21 दिसंबर, 2015 को आयोजित अपनी 134वीं बैठक में विभाग द्वारा प्रस्तुत स्थिति संबंधी रिपोर्ट में प्रकाशित बातों को नोट किया था।

4. तदनुसार, 'वित्त शक्ति पुस्तिका, 2016' के 5वें संस्करण का संपादन किया गया है। ये नियम सुलभ संदर्भ हेतु द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

5. यह आशा की जाती है कि अं.वि. 'वित्त शक्ति पुस्तिका 2016' एक ओर जहां प्रावधानों/नियमों के बारे में स्पष्टता प्रदान करेगी और सरकारी कामकाज के निपटान में अधिकारियों को अधिक लचीलापन प्रदान करेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार के विभिन्न स्तरों पर उसी प्रकार की पर्याप्त जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी।

6. अंत में, मैं अं.वि. 'वित्त शक्ति पुस्तिका, 2003' की समीक्षा के लिए गठित समिति के उत्कृष्ट कार्य और इस कठिन कार्य को संपन्न करने हेतु विशेषकर श्री के हरिहरन, अवर सचिव (बजट), अंतरिक्ष विभाग एवं श्री एम मोहम्मद अली, सहायक, बजट प्रभाग सहित निदेशक, सिविल इंजीनियरी कार्यक्रम कार्यालय, सह निदेशक, बजट एवं आर्थिक मामले तथा निदेशक, कार्यक्रम, आयोजना एवं कार्मिक प्रबंधन के बहुमूल्य योगदान का उल्लेख करना चाहूंगा।

हस्ता/-

(आ सी किरण कुमार)
सचिव, भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूरु
28 जनवरी, 2016

भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग
*****

अंतरिक्ष भवन,
न्यू बी ई एल रोड,
बेंगलूरु – 560 231

28 जनवरी, 2016

आदेश

राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना करने वाले भारत सरकार के संकल्प के अनुच्छेद 8 के अनुपालन में निदेश देते हैं कि अंतरिक्ष विभाग में वित्तीय शक्तियों का प्रयोग संलग्न वित्त शक्ति पुस्तिका, 2016 (पांचवे संस्करण) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

हस्ता/-
(ए विजय आनन्द)
अपर सचिव

विषय–सूची

नियम सं.	उप-नियम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
		प्रस्तावना	1-3
1		**सामान्य**	4
2		**परिभाषाएं**	4-6
3	3.1	**निम्न से संबंधित सिद्धांत** प्रत्यायोजित और गैर–प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग	6
	3.2	शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन	6-7
4	4.1.1	**विनियोजन, पुनर्विनियोजन और निधियों का आबंटन** संसद द्वारा निधियों का उपबंध	7
	4.1.2	संस्वीकृत निधियों का वितरण	8
	4.1.3	निधियों का आबंटन	8
	4.1.4	सांविधिक निगमों अथवा कंपनियों को निधियां दिया जाना	8
	4.2	विनियोजन और पुनर्विनियोजन से संबंधित सामान्य सिद्धांत	8-10
	4.3	विनियोजन और पुनर्विनियोजन की शक्तियां	10-11
5	5.1	**सामान्य परिसीमाएं** व्यय मंजूर करने की शक्ति	12
	5.2	मंजूरी का प्रभाव	12
6	6.1.1	**व्यय की मंजूरी** परियोजना, योजना अथवा किसी परियोजना को तैयार करने वाली योजना कार्य के बारे में शक्ति	13
	6.1.2	प्रमुख कार्य के बारे में शक्ति	13-14
	6.1.3	भूमि एवं भवनों के अधिग्रहण के बारे में शक्ति	14
	6.1.4	परियोजना/योजना/कार्य/भूमि एवं भवनों के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण बदलाव	14
	6.1.5	प्रमुख कार्यों के लिए के लो नि वि की संहिता के अधीन	14
	6.1.6	संशोधित लागत अनुमान (आर सी ई)	15
	6.1.7	लघु कार्य	15
	6.1.8	परियोजना, योजना अथवा किसी परियोजना को तैयार करने वाली योजना संबंधी कार्य के लिए भंडार सामग्रियों एवं उपकरणों की खरीद	15

नियम सं.	उप-नियम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	6.1.9	अंगीभूत इकाई के लिए भंडार सामग्रियों एवं उपकरणों की खरीद	16
	6.1.10	छोटे कार्यों के लिए	16
	6.1.11	निवेश-पूर्व क्रियाकलापों के लिए	16
	6.2	आकस्मिक और विविध व्यय के लिए	17
7		**पदों के सृजन के संबंध में शक्तियां**	17
8		**निचले स्तर पर पदों का प्रचालन**	18
9		**अनुदानों और ऋणों की मंजूरी**	18
10		**भंडार सामग्रियों की खरीद, प्रमुख कार्यों एवं सेवाओं के लिए ठेके तथा परामर्शिता सेवाओं से संबंधित करारों का किया जाना**	
	10.1	भंडार सामग्रियों की खरीद एवं सेवाओं के लिए ठेके	18
	10.2	प्रमुख और लघु कार्यों के निष्पादन हेतु ठेके	18
	10.3	निविदाओं के माध्यम से ठेका करने की शर्तें (क) भंडार सामग्रियों एवं सेवाओं की प्राप्ति (ख) प्रमुख कार्य	19 19-20
	10.4	समझौता-ज्ञापन (एम ओ यू) एवं परामर्शिता संबंधी ठेके	20
11		**अधिक भुगतान और हानियों को बट्टे खाते डालना**	21-23
12		**अधिशेष, अप्रचालित अथवा अनुपयोगी भंडार सामग्रियों और वाहनों को घोषित करना**	23
13		**विविध प्रावधान**	
	13.1	पिछले मामलों में संवर्धित प्रत्यायोजन का लागू किया जाना	24
	13.2	पूंजीगत व्यय में प्रत्यायोजित शक्तियों का लागू किया जाना	24
	13.3	अपने कर्तव्य के अलावा किसी दूसरे पद के "वर्तमान कर्तव्यों" को निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी की शक्तियां	24
	13.4	व्यापार संबंधी प्रचालन	24-25
	13.5	सरकारी संपत्ति का बीमा	25
	13.6	भवनों की बिक्री अथवा उनको गिराया जाना	26
14		**मंजूरी की सूचना देना**	26
15		**शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन**	26

अनुसूचियां

अनु. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
I	अं.वि./इसरो के केंद्रों/यूनिटों में विभागाध्यक्ष	27
II	अं.वि./इसरों के विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां	28-34
III	आकस्मिक व्यय से संबंधित शक्तियां	35-42
IV	विविध व्यय के वहन से संबंधित शक्तियां	43
V	पदों के सृजन से संबंधित शक्तियां	44
VI	हानियों को बट्टे-खाते करने से संबंधित शक्तियां	45-46
VI	विभागाध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन	47-53

परिशिष्ट

आंतरिक वित्त संबंधी कार्य	54-56

भूमिका

जब कि कार्य आबंटन नियम, 1961 के अधीन भारत सरकार के मंत्रालयों के संबंध में उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों से परे वित्तीय मंजूरियां जारी करने की शक्तियां सामान्यत: व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) में निहित हैं, अंतरिक्ष विभाग को उन्हीं नियमों के अधीन अपनी वित्तीय मंजूरियां जारी करने के लिए सशक्त किया गया है। ऐसी मंजूरियां वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग, जो अंतरिक्ष विभाग में पदेन वित्त सचिव होता है, उनकी सहमति से जारी की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, अंतरिक्ष विभाग में, परमाणु ऊर्जा विभाग की भांति, व्यय नियंत्रण के लिए आंतरिक रूप से निर्मित कार्य प्रणाली का उपबंध किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग के संबंध में इस स्थिति को मान्यता देते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, जिसने कार्य आबंटन नियमों द्वारा अपने में निहित प्राधिकार के अधीन वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों के संबंध में नियम जारी किए हैं, उसने परमाणु ऊर्जा विभाग को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों के लागू होने से छूट प्रदान किया है। अंतरिक्ष विभाग, जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग की शक्तियां विरासत में मिली हैं, तथा इसकी स्थिति समान होने के कारण, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम उसी रूप में इस पर लागू नहीं होते।

2. फिर भी, 1961 में सरकार ने एक व्यवस्था को अनुमोदित किया, जिसके द्वारा वित्त सदस्य को भेजे बिना, परमाणु ऊर्जा विभाग, सितंबर 1961 में जारी किए गए विशेष आदेशों द्वारा यथासंवर्धित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 के अधीन कतिपय अन्य मंत्रालयों को प्रत्यायोजित शक्तियों के बराबर शक्तियों का प्रयोग अन्य आदेशों के अधीन उसमें पहले निहित किन्हीं अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करने के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर सकते थे। इन अतिरिक्त शक्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित थी :-

(क) सिविल कार्यों का निष्पादन करना, क्रय, भंडार और लेखन-सामग्री तथा बाहरी अभिकरणों, जैसे कि - केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय आदि के नियोजन के बिना अपने मुद्रण और जिल्दबंदी कार्य के लिए अपने आप व्यवस्था करने का प्राधिकार,

(ख) उपर्युक्त अधिकार के परिणामस्वरूप, भंडार, सामग्रियों और उपस्कर आदि को खरीदने के लिए संविदाएं तय करने के बारे में निर्माण और आवास मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के बराबर शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार,

(ग) वित्त सदस्य की सहमति से परमाणु ऊर्जा विभाग को समय-समय पर प्रत्यायोजित शक्तियां।

3. अंतरिक्ष विभाग जब 1972 में परमाणु ऊर्जा विभाग से निकल कर बना था तो उसे ये शक्तियां विरासत में मिली थीं।

4. अंतरिक्ष विभाग की "वित्त शक्ति पुस्तिका" उन शक्तियों और प्रथाओं को संहिताबद्ध करने का प्रयास है जो उसे परमाणु ऊर्जा विभाग से विरासत में मिली हैं तथा जो पृथक अस्तित्व के रूप में इसकी स्थापना के पश्चात् विकसित हुई हैं। इस अवसर का लाभ उठा कर कुछ क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, जो अनुभव के आधार पर आवश्यक या वांछनीय पाए गए थे। इसके नाम से व्यय के नियंत्रण हेतु आंतरिक कार्य-प्रणाली सहित अंतरिक्ष विभाग की विशेष स्थिति प्रतीत होती है और विभाग पूर्ण वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसा अधिकांशतः अन्य मंत्रालय व्यय विभाग की सहमति से ही कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था में, अंतरिक्ष विभाग को किसी बाह्य प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें जो कुछ करना आवश्यक है, वह ऐसे नियमों का प्रख्यापन है, जिनमें उन स्तरों का, जहां तक अंतरिक्ष विभाग वित्त सदस्य को दिखाए बिना शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा उन स्तरों का जिनके परे वित्त सदस्य की सहमति आवश्यक होगी, विनिर्देशन किया जाएगा। मोटे तौर पर, इस "वित्त शक्ति पुस्तिका" की यही आधारभूत नीति है। ऊपर निर्दिष्ट स्तरों का निर्धारण करने में, व्यय विभाग द्वारा 1962, 1968, 1978, 2002, 2014 और उसके बाद में अन्य मंत्रालयों को किए गए प्रत्यायोजनों के विषय क्षेत्र पर भी उस सीमा तक विचार किया गया है, जहां तक कि वे अंतरिक्ष विभाग की आवश्यकताओं से मेल खाते हैं।

5. अंतरिक्ष विभाग द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में जिन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए और जिन प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति की जानी चाहिए, उनकी रूपरेखा नीचे प्रस्तुत है :

<u>बजट-पूर्व और बजट के बाद मंजूरियां</u>

6.1 बजट प्रस्तावों को बनाने के लिए समयानुसूची का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया जाना चाहिए, जिससे कि अर्थोपाय की दृष्टि से वित्त-सदस्य द्वारा उसकी जांच के लिए और व्यय विभाग के साथ अनुवर्ती चर्चाओं के लिए पर्याप्त समय मिल सके। विभाग द्वारा इस बात का भी पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए कि वह प्रस्तावों को बजट में सम्मिलित करने के पहले जांच के लिए, बजट के प्रस्तुत किए जाने के पर्याप्त समय पूर्व, वित्त सदस्य को उस ब्यौरे के साथ भेजे जैसे सचिव, अंतरिक्ष विभाग और वित्त सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया गया है।

6.2 जहां ऐसा करना साध्य नहीं है, बजट में एकमुश्त उपबंध किए जा सकते हैं। ऐसे उपबंध, जहां तक संभव हो, उस व्यय के यथार्थ मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए जिसके वर्ष के दौरान खर्च किए जाने की संभावना है। वे मामूली तौर पर केवल सांकेतिक उपबन्ध नहीं होने चाहिए। जिन मामलों में एकमुश्त उपबंध किए जाते हैं, उनमें रकम, व्यय की मंजूरियां जारी किए जाने के लिए विभाग को तब तक उपलब्ध नहीं होंगी, जब तक कि वे योजनाएं वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग द्वारा स्वीकार न कर ली गई हों।

<u>आंतरिक वित्त के लिए व्यवस्था</u>

7.1 सचिव, अंतरिक्ष विभाग द्वारा सक्षम आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। विभाग की बड़ी अंगीभूत इकाइयों के प्रधानों और बड़ी परियोजनाओं के प्रधानों की भी, उनकी वित्तीय शक्तियों के प्रयोग में, जहां आवश्यक हो, सक्षम आंतरिक वित्तीय सलाहकारों द्वारा सहायता की जानी चाहिए। ऐसे आंतरिक वित्तीय सलाहकारों के पदों का सृजन सचिव, अंतरिक्ष विभाग के विवेकाधीन होगा।

7.2 इस पुस्तिका के परिशिष्ट में आंतरिक वित्तीय कार्यों का वर्णन किया गया है।

कार्य–अध्ययन एकक

8. स्थापनाओं की वृद्धि पर नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष विभाग, सक्षम कार्य–अध्ययन एककों की स्थापना करे। इस पुस्तिका में निर्धारित पदों का सृजन करने की शक्ति का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन तदर्थ या स्थायी समितियों की सिफरिशों के आधार पर किया जाएगा, जो अंतरिक्ष विभाग अथवा इसके अंगीभूत इकाइयों के प्रधान द्वारा गठित की गई हों। अंतरिक्ष विभाग के अनुमोदन से नियुक्त कार्य–अध्ययन एककों के द्वारा इन समितियों की सहायता की जाएगी। पदों का वह वर्ग, यदि कोई हो, जिसको इस अपेक्षा से छूट दी जाए, सचिव द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाएगा। विभिन्न संवर्गों के पदों के संबंध में कार्य अध्ययन जिस रीति से किया जाना चाहिए, उसका विनियमन अंतरिक्ष विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों द्वारा किया जाएगा।

पदों का सृजन

9. सचिव, अंतरिक्ष विभाग उन संवर्गों के पदों को सूचित करने वाले आदेश समय-समय पर जारी कर सकेगा जिनके सृजन के लिए उसके वैयक्तिक आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए।

शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन

10. सरकार की नीति यह है कि प्रशासनिक मंत्रालयों को चाहिए कि वे प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों को, उनके अपने उत्तरदायित्व स्तरों का सम्यक ध्यान रखते हुए, अधिकतम सीमा तक प्रत्यायोजित करें। अत: अंतरिक्ष विभाग, जहां न्यायोचित हो, अपनी संपूर्ण शक्तियां भी अपनी अंगीभूत इकाइयों को पुनर्प्रत्यायोजित कर सकता है, परंतु यह तब जब कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियां किसी भी दशा में उसकी अपनी शक्तियों से अधिक न हों। विभाग को अंगीभूत इकाइयों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की पर्याप्तता का निरंतर पुनर्विलोकन करना चाहिए।

विविध व्यय

11. असामान्य आकस्मिक व्यय और विविध व्यय को मंजूर करने की शक्ति का प्रयोग करने में इस बात की सम्यक सतर्कता रखी जानी चाहिए कि नई दिशाओं में व्यय की वृद्धि अथवा नए प्रकार के व्ययों पर रोक लगाया जाए।

रिपोर्ट और विवरणियां

12. इस योजना के अधीन मंजूर और खर्च किए गए व्यय पर व्यापक नियंत्रण का प्रयोग करने में वित्त-सदस्य, अंतरिक्ष आयोग को समर्थ बनाने के लिए, अंतरिक्ष विभाग को चाहिए कि वह वित्त–सदस्य, अंतरिक्ष आयोग को ऐसी रिपोर्ट और विवरणियां ऐसे ब्यौरे सहित और नियतकालिक रूप में प्रस्तुत करे जो वित्त–सदस्य, अंतरिक्ष आयोग, सचिव, अंतरिक्ष विभाग से परामर्श करके निर्धारित करें।

*****

वित्त शक्ति पुस्तिका

1. सामान्य

1.1 इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग की वित्त शक्ति पुस्तक नियम, 2016 कहा जाएगा।

1.2 ये नियम 01.02.2016 से लागू होंगे।

1.3 ये नियम राष्ट्रपति की ओर से वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग की सहमति से अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

1.4 अंतरिक्ष विभाग वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग की सहमति से किसी समय, इन नियमों में संशोधन करके, इन नियमों के अधीन किसी उपबंध का पुनरीक्षण कर सकेगा। इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अंतरिक्ष विभाग वित्त सदस्य की सहमति से, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध में छूट दे सकेगा।

1.5 इन नियमों के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 में निहित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अधीन होगा।

1.6 *शंकाओं का निवारण:*

इन नियमों के उपबंधों की व्याख्या में यदि कोई शंका उत्पन्न होती है, तो मामला स्पष्टीकरण के लिए अंतरिक्ष विभाग को सौंपा जाएगा।

2. परिभाषाएं

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में निम्न बातें आवश्यक होंगी :-

(क) 'विनियोजन' का अर्थ है उस विनिर्दिष्ट व्यय की पूर्ति के लिए निधियों का समनुदेशन जिसके लिए विनियोजन के प्राथमिक एकक में उपबंध किया गया है;

(ख) 'आयोग' से अभिप्राय है अंतरिक्ष आयोग;

(ग) 'अंगीभूत इकाई' से अभिप्राय है अंतरिक्ष विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई केंद्र अथवा इकाई अथवा परियोजना;

(घ) 'आकस्मिक व्यय' से अभिप्राय है कार्यालय संबंधी व्यय, किराए, दर एवं कर, प्रकाशन, प्रचार संबंधी खर्च, भंडार सामग्रियां एवं उपकरण और प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक संस्थान अथवा भंडार गृह जैसे किसी कार्यालय के प्रबंधन अथवा किसी तकनीकी स्थापना के कार्यकरण हेतु आनुषंगिक अन्य समान व्यय सहित सभी व्यय किंतु इसमें 'कार्य', 'दुविधा', 'मशीनरी एवं उपकरण' तथा 'औजार एवं संयंत्र' जैसे व्यय शामिल नहीं हैं जो विशेष रूप से 'कुछ अन्य व्यय' शीर्ष के अंतर्गत आते हैं।

(ङ) 'भारत की समेकित निधि' से अभिप्राय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित निधियां;

(च) 'आकस्मिक निधि' से अभिप्राय है संविधान के अनुच्छेद 267(1) के संदर्भ में भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियाम, 1950 के अंतर्गत स्थापित निधि;

(छ) 'वित्त मंत्रालय' से अभिप्राय है केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय;

(ज) 'विभागाध्यक्ष' से अभिप्राय है नियम 3.2.4 के अनुसार सचिव, अंतरिक्ष विभाग द्वारा घोषित ऐसा कोई प्राधिकारी;

(झ) 'कार्यालय प्रधान' से अभिप्राय है नियम 3.2.5 के अंतर्गत ऐसा कोई राजपत्रित अधिकारी;

(ञ) 'प्रमुख कार्यों' से अभिप्राय है (i) सभी नए निर्माण (ii) सभी प्रकार के समायोजन, परिवर्तन और मूल्यवृद्धि हेतु वर्तमान संरचना में किए गए विशेष मरम्मत/नई प्राप्त परिसंपत्तियां (₹ 25.00 लाख से अधिक लागत वाली) (iii) वर्तमान संरचना अथवा स्थापना के प्रमुख प्रतिस्थापन अथवा उनके पुनर्माडलिंग अथवा ₹ 25.00 लाख से अधिक लागत के मूल्यवर्धन वाले अन्य कार्य;

(ट) 'वित्त सदस्य' से अभिप्राय है वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग जो कि वित्त के लिए अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं;

(ठ) 'लघु कार्यों' से अभिप्राय है राजस्व खंड के अंतर्गत 2(ञ) में परिभाषित प्रमुख कार्यों के अलावा कार्य जो इस शर्त के अधीन होंगे कि सभी नए निर्माण लघु कार्य की कीमत को ध्यान में रखे बिना प्रमुख कार्यों के लिए विनिर्दिष्ट नियत प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे;

(ड) 'विविध व्यय' से अभिप्राय सरकारी सेवकों के वेतन एवं भत्ते, छुट्टी वेतन, पेंशन, आकस्मिकताओं, सहायता-अनुदान, अंशदानों, कार्यों, औजारों एवं संयंत्रों जैसी श्रेणी में आने वाले व्यय को छोड़कर सभी व्यय से है;

(ढ़) 'नई सेवा' से अभिप्राय नए क्रियाकलाप अथवा एक नई प्रकार के निवेश सहित उस नीतिगत निर्णय से है जो पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया है;

(ण) 'सेवा के नए साधन' से अभिप्राय किसी वर्तमान क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न अपेक्षाकृत बड़े व्यय से है;

नोट : इस संबंध में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 10 के अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय लागू होंगे।

(त) 'अनावर्ती व्यय' से अभिप्राय आवर्ती व्यय से इतर व्यय है;

(थ) 'विनियोजन वाली प्राथमिक इकाई' से अभिप्राय **अंतरिक्ष विभाग की 'वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका'** के नियम 4.1.2 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्राथमिक इकाई के विनियोजन से है;

(द) 'आवर्ती व्यय' से अभिप्राय आवधिक अंतराल पर किया जाने वाला व्यय है;

(ध) 'पुनर्विनियोजन' से अभिप्राय एक विनियोजन वाली प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण है;

(न) 'अनुसूचियों' से अभिप्राय समय-समय पर इन नियमों में जोड़ी गई अनुसूचियां हैं।

3. निम्नलिखित के संबंध में सिद्धांत :

3.1 प्रत्यायोजित और गैर-प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग :

इन नियमों के अंतर्गत विद्यमान शक्तियां अंतरिक्ष विभाग में निहित है, जिसका प्रयोग इन नियमों में अंतर्निहित सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए वित्त सदस्य को भेजे बिना किया जा सकता है। सरकार की शक्तियां जो इस उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष विभाग में निहित नहीं हैं, उनका प्रयोग वित्त सदस्य की सहमति से किया जा सकता है, बशर्ते कि उन प्रस्तावों अथवा नीतियों के लिए अंतरिक्ष आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो जिसके लिए कार्य नियम के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

3.2 शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन

3.2.1 इन नियमों के अधीन अंतरिक्ष विभाग में निहित शक्तियों पर अपनी सीमा के अंदर रहते हुए उत्तरदायित्वों के स्तर के संबंध में सम्यक विचार करके आवश्यक सीमा तक विभागाध्यक्षों और/अथवा अंगीभूत केंद्रो/इकाइयों अथवा परियोजनाओं के अन्य वरिष्ठ प्रभारी अधिकारियों को आदेश द्वारा प्रत्यायोजित किया जा सकेगा।

3.2.2 जिन अधिकारियों को शक्तियां इस प्रकार पुनर्प्रत्यायोजित की गई हैं, वे आदेश द्वारा, अपनी ओर से उन शक्तियों का अपने अधीन कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को आदेश में विनिर्दिष्ट सीमा तक प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे, किंतु यह उनकी अपनी शक्तियों से परे नहीं होगा। अपनी शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सामान्यत: जिम्मेदार होंगे कि वे अधिकारी जिनको उन्होंने अपनी शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन किया है, उनका प्रयोग सही रूप में, नियमितता और औचित्य का सम्यक ध्यान रखते हुए करते हैं।

3.2.3 नियम 3.2 के अधीन पुनर्प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन किया जाएगा, जो पुनर्प्रत्यायोजन करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हों।

3.2.4 विभागाध्यक्ष

सचिव, अंतरिक्ष विभाग अं.वि./इसरो के केंद्रों/यूनिटों/परियोजनाओं के किसी अधिकारी को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित कर सकेगा :

(क) उस अधिकारी को चिह्नित संगठन/यूनिट/परियोजना का प्रधान होना चाहिए;

(ख) उस अधिकारी का न्यूनतम वेतन बैंड और ग्रेड वेतन भारत सरकार के उप सचिव से कम नहीं होना चाहिए। (सचिव, अंतरिक्ष विभाग द्वारा अं.वि./इसरो के केंद्रों/यूनिटों परियोजनाओं के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित अधिकारियों की एक सूची अनुसूची-I में दी गई है)

3.2.5 कार्यालय प्रधान

सचिव अंतरिक्ष विभाग अथवा कोई विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को इन नियमों के प्रयोजनार्थ कार्यालय प्रधान घोषित कर सकेगा। सामान्यत: एक से अधिक राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय प्रधान घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि एक विभागाध्यक्ष के अधीन दो अथवा उससे अधिक पृथक संस्था न हो और वैसी स्थिति में एक राजपत्रित अधिकारी को ऐसी प्रत्येक संस्था का कार्यालय प्रधान घोषित किया जाएगा।

4. <u>विनियोजन, पुनर्विनियोजन एवं निधियों का आबंटन</u> :

4.1.1 संसद द्वारा निधियों का उपबंध :

अंतरिक्ष विभाग से संबंधित "अनुदान के लिए मांगें" और "प्रभारित व्यय के लिए विनियोजन" वित्त मंत्रालय द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने और उन पर मत प्राप्त करने तथा आवश्यक विनियोजन अधिनियम के संसद द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात् इस प्रकार प्राधिकृत राशि मंजूर किए गए व्यय की पूर्ति के लिए अंतरिक्ष विभाग को उपलब्ध हो जाती है।

4.1.2 मंजूर की गई निधियों का वितरण :

"अनुदान" और "प्रभारित वयय के लिए विनियोजन" का वितरण उप-शीर्षों अथवा मानक विषय शीर्षों द्वारा किया जाता है जिसके अंतर्गत इसका लेखा-जोखा रखा जाएगा। ऐसा प्रत्येक उप-शीर्ष अथवा मानक विषय शीर्ष जिसके लिए व्यय का उपबंध दिखाई देता है, विनियोजन की प्राथमिक इकाई का निर्माण करता है। प्राथमिक इकाई में 'दत्तमत' और 'प्रभारित' व्यय दोनों को शामिल किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में प्रत्येक की राशि अलग-अलग दिखाई जाती है। उपर्युक्त प्राथमिक इकाइयां वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, 1978 के अंतर्गत इसे निर्धारित किया जाएगा।

4.1.3 निधियों का आबंटन

संसद द्वारा "अनुदान" के स्वीकार किए जाने और "प्रभारित व्यय के लिए विनियोजन" को प्राधिकृत किए जाने के बाद अंतरिक्ष विभाग मंजूर की गई निधियों को आवश्यकतानुसार नियंत्री तथा संवितरण अधिकारियों के बीच वितरित करेगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी विशेष नियमों अथवा आदेशों के अधीन किसी प्राथमिक इकाई के अंतर्गत किया गया संपूर्ण प्रावधान अथवा उसका कोई हिस्सा [जैसा समय-समय पर संशोधित वित्तीय शक्तियों की नियमावली, 1978 के नियम 8(2) में उल्लेखित है] नियंत्री अथवा संवितरण अधिकारी के अधिकार में रखा जा सकता है अथवा प्राथमिक इकाई को अनेक द्वितीयक इकाइयों के रूप में विभाजित किया जा सकता है और इसके अंतर्गत किया गया उपबंध पूर्णत: अथवा हिस्सों में नियंत्री अथवा संवितरण अधिकारियों के अधिकार में दिया जा सकता है।

4.1.4 सांविधिक निगमों अथवा कंपनियों को निधियां जारी करना :

इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट बजट संबंधी उपबंध के अस्तित्व के अधीन अंतरिक्ष विभाग वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली वास्तविक आवश्यकताओं पर सम्यक विचार करके अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक निगमों अथवा कंपनियों की जमा पूंजी के निवेश के लिए निधियां जारी कर सकता है। तथापि, अंतिम तिमाही के लिए निधियां वित्तीय सलाहकार, अंतरिक्ष विभाग के परामर्श से जारी की जाती हैं।

4.2 विनियोजन और पुनर्विनियोजन के संबंध में सामान्य सिद्धांत

4.2.1 अंतरिक्ष विभाग द्वारा विनियोजन और पुनर्विनियोजन की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित सिद्धांतों तथा किन्हीं अन्य सिद्धांतों के अधीन रहते हुए किया जाएगा जैसा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाए और जो व्यापक रूप से लागू होने वाले हैं अर्थात् वे जो वैज्ञानिक अभिरुचि की योजनाओं एवं परियोजनाओं में संलग्न विभागों सहित सभी विभागों पर लागू होंगे।

4.2.2 एक "अनुदान" अथवा "प्रभारित व्यय के लिए विनियोजन" से किसी अन्य "अनुदान" अथवा "प्रभारित व्यय के लिए विनियोजन" हेतु पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा जिसके लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं प्रदान की गई हो।

4.2.3 वैसे व्यय के लिए निधियों का विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं प्रदान की गई हो।

4.2.4 प्रभारित व्यय के लिए उपबंधित निधियों का मतदेय व्यय की पूर्ति के लिए विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा तथा दत्तमत व्यय के लिए उपबंधित निधियों का प्रभारित व्यय की पूर्ति के लिए विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा।

4.2.5 कोई नई सेवा अथवा नई सेवा के साधन जिस पर संसद द्वारा अनुमोदित बजट में विचार न किया गया हो उस व्यय की पूर्ति के लिए निधियों का विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा और न ही बजट में निर्धारित किसी नए मद से किसी और उद्देश्य के लिए निधियों का विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन वित्त मंत्रालय तथा संसद की सहमति के बिना किया जाएगा।

4.2.6 **प्रमुख कार्यों पर व्यय निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे जो इस प्रकार हैं :-**

(क) प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी प्राप्त किए बिना प्रमुख एवं लघु दोनों प्रकार के कार्यों के लिए व्यय नहीं किया जाएगा।

(ख) किसी प्रमुख कार्य के लिए विनियोजित अथवा पुनर्विनियोजित राशि वित्त सदस्य की पूर्व सहमति के सिवाय, अनुमोदित अथवा मंजूर की गई राशि के 15% से ज्यादा अधिक नहीं होगी जिस कार्य के लिए उसका अनुमोदन किया गया है अथवा उसे मंजूरी प्रदान की गई हो, बशर्ते कि उचित प्रमुख कार्य शीर्षों के अंतर्गत अन्यत्र बचत उपलब्ध हों। जहां अनुज्ञेय सीमाओं का अतिक्रमण वित्त सदस्य द्वारा प्राधिकृत किया गया है, वहां अंतरिक्ष विभाग ऐसा व्यय करने के लिए सक्षम होगा, यदि उचित प्रमुख कार्य शीर्षों के अंतर्गत बचत उपलब्ध है। इस मामले में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची–II के क्रम संख्या–1** में दिखाई गई हैं।

(ग) वित्त सदस्य की पूर्व सहमति के बिना पूंजीगत खंड के अंतर्गत प्राथमिक इकाई विषय शीर्ष 'प्रमुख कार्य' से किसी अन्य प्राथमिक इकाई/विषय शीर्ष को कोई पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा। तथापि, अंतरिक्ष विभाग को अं.वि./इसरो के विविध केंद्रों/इकाइयों/ परियोजनाओं के लिए आपस में प्राथमिक इकाई/विषय शीर्ष 'प्रमुख कार्य' के लिए निधियों के पुनर्विनियोजन का अधिकार है।

(घ) किसी कार्य के संबंध में 'उचंत' शीर्ष से अथवा इस शीर्ष को कोई पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा।

(ङ) बजट में उपबंधित न किए गए किसी प्रमुख कार्य, जिसकी लागत पचास लाख से अधिक है किंतु 2 करोड़ से अधिक नहीं है, उसके पुनर्विनियोजन के लिए वित्त सदस्य की पूर्व सहमति लेना आवश्यक होगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची–II के क्रम संख्या 2** में दी गई हैं।

(च) बजट प्रावधान को 10% तक बढ़ाने किंतु ₹50.00 लाख की सीमा तक प्रभाव वाले प्रमुख कार्यों के लिए पुनर्विनियोजन को सचिव, अंतरिक्ष विभाग, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अंतरिक्ष विभाग के परामर्श से अनुमोदन प्रदान करेगा। जहां यह वृद्धि ₹50.00 लाख से अधिक हैं, किंतु ₹2.50 करोड़ से कम है, तो वित्त सदस्य की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। जहां प्रमुख कार्यों के लिए वृद्धि बजट प्रावधान के 10% से अथवा ₹2.50 करोड़ से अधिक है, दोनों में जो भी कम हो, उसके लिए संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची–II के क्रम संख्या 3** में दर्शायी गई है।

4.3 विनियोजन और पुनर्विनियोजन की शक्तियां :

नियम के अंतर्गत उपबंधों और सीमाओं के अधीन अंतरिक्ष विभाग अनुदान की सीमा के अंदर विनियोजनों और पुनर्विनियोजनों के मामले में पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करेगा। पुनर्विनियोजन की ये शक्तियां अंतरिक्ष विभाग के अधिकार में दी गई केंद्रीय योजनाओं के संबंध में ऋणों के प्रावधानों पर लागू होंगी। निम्नलिखित स्थितियों के अधीन राजस्व एवं पूंजीगत खंडों के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग के पास प्राथमिक इकाइयों/विषय शीर्ष दोनों के अंतर्गत प्रावधानों में वृद्धि करने का पूरा अधिकार होगा :-

(क) वित्त मंत्रालय और संसद के अनुमोदन के बिना अनुदान के 'राजस्व' और 'पूंजी' खंड दोनों के अंतर्गत 'योजना' शीर्षों से 'योजना–भिन्न' शीर्षों को तथा विलोमत: निधियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाएगा।

(ख) वित्त मंत्रालय के सहमति के बिना एक 'उप-शीर्ष' से दूसरे 'उप-शीर्ष' को निधियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाएगा जो एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹5.00 करोड़ अथवा उससे अधिक बजट प्रावधानों में वृद्धि का प्रभाव रखता हो। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची–II के क्रम संख्या 4** में दर्शायी गई है।

(ग) वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त किए बिना 'वेतन' शीर्ष से किसी अन्य प्राथमिक इकाई/मद शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा। तथापि, विभाग के पास अन्य मद शीर्षों से मद शीर्ष 'वेतन' में प्रावधान बढ़ाने और मद शीर्ष वेतन में से अं.वि./इसरो के केंद्रों/इकाइयों/परियोजनाओं (उप-शीर्ष) के 'वेतन' शीर्ष में निधि का पुनर्विनियोजन करने का पूरा अधिकार होगा।

(घ) वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना 'समयोपरि भत्ता' विषय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में वृद्धि करने हेतु निधियों का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा।

(ङ) 'घरेलू यात्रा व्यय' और 'विदेशी यात्रा व्यय' विषय शीर्षों के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा। तथापि, दत्तमत विनियोजन के ऊपर 10% तक उपर्युक्त विषय शीर्षों की राशि को बढ़ाने का विभाग को अधिकार होगा। 10% से अधिक की वृद्धि के लिए वित्त सदस्य की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची-II के क्रम सं.5** में दर्शायी गई है।

(च) वित्त सदस्य की पूर्व सहमति के बिना 'कार्यालय व्यय' और 'अन्य प्रभार' जैसे विषय शीर्षों में निधियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाएगा। तथापि, उपर्युक्त विषय शीर्षों के अंतर्गत किए गए प्रावधान को बढ़ाने के लिए विभाग के पास पूरा अधिकार होगा, बशर्ते कि पूरे अनुदान अथवा विनियोजन के लिए कुल मिलाकर इन प्रारंभिक इकाइयों के अंतर्गत किए गए प्रावधान की सीमा का उल्लंघन न हो।

(छ) वर्तमान योजनाओं में राज्यों और संघ शासित सरकारों के मामलों को छोड़कर 'संसद' के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुदान के 'राजस्व' खंड में बचत के पुनर्विनियोजन के माध्यम से 'सहायता अनुदान-सामान्य' 'सहायता अनुदान-वेतन', 'पूंजीगत संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' एवं 'आर्थिक सहायता' जैसे विषय शीर्षों के संवर्धन के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा। अं.वि./इसरो के स्वायत्तशासी निकायों के मामले में 'सहायता अनुदान-सामान्य', 'सहायता अनुदान -वेतन' 'पूंजीगत संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' शीर्ष से व्यय के पुन: वर्गीकरण के कारण उत्पन्न निधियों के संवर्धन की आवश्यकता के मामलों में भी संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

(ज) संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना अं.वि./इसरो के केंद्रों/इकाइयों/परियोजनाओं के 'प्रमुख कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के विषय शीर्ष को दो करोड़ पचास लाख रुपये अथवा दत्तमत विनियोजन के 10% तक, दोनों में जो भी कम हो, उसके संवर्धन के लिए निधियों का पुनर्नियोजन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची II के क्रम सं. 6** में दर्शायी गई है।

विभागाध्यक्षों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची VII के क्रम सं.1** में दर्शाया गया है।

नोट :

(i) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.) के नियम 10 के अंतर्गत समय-समय पर जारी सभी स्थितियों और अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(ii) संसद के द्वारा अनुमोदित विनियोजन अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा किसी खास लेखा शीर्ष के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही व्यय को उस खाते में दर्ज किया जाए।

5. <u>सामान्य परिसीमाएं</u>

5.1 व्यय मंजूरी की शक्ति

5.1.1 सभी वित्तीय शक्तियों के प्रयोग की यह प्राथमिक शर्त है कि सार्वजनिक राजस्व का व्यय सार्वजनिक व्यय के विधि सम्मत उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

5.1.2 इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग नई सेवा/सेवाओं के नए साधनों पर व्यय के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

5.1.3 सार्वजनिक धन के व्यय अथवा अग्रिमों की मंजूरी केवल उन मामलों में दी जा सकेगी जिनमें यह निम्न के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है :-

(क) तत्काल प्रवृत्त किसी कानून के उपबंध;

(ख) राष्ट्रपति द्वारा अथवा उनके अनुमोदन से जारी अंतरिक्ष विभाग पर लागू ये तथा अन्य कोई नियम;

(ग) अंतरिक्ष विभाग पर लागू राष्ट्रपति अथवा अन्य समक्ष प्राधिकरी का कोई सामान्य अथवा विशेष आदेश या निदेश।

5.1.4 इन नियमों के अधीन ऐसा कोई व्यय मंजूर नहीं किया जा सकेगा, जिसमें ऐसे सिद्धांत या पद्धति की प्रविष्टि शामिल है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में व्यय में वृद्धि हो जाए जब तक कि इस व्यय की संवीक्षा न की गई हो और वित्त सदस्य द्वारा उस पर सहमति न प्रदान की गई हो।

5.1.5 इन नियमों के अधीन कोई व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की अनदेखी करके, यदि यह अंतरिक्ष विभाग को लागू है, वित्त सदस्य अथवा अंतरिक्ष आयोग की सहमति से क्रियाकलापों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सचिव, अंतरिक्ष विभाग द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार मंजूर नहीं किया जाएगा।

5.2 मंजूरी का प्रभाव

5.2.1 जब तक कि वैध विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय अथवा दायित्व की पूर्ति के लिए निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, किसी मंजूरी के विरूद्ध कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

5.2.2 आवर्ती व्यय अथवा दायित्व के संबंध में मंजूरी प्रवृत्त हो जाती है जब प्रथम वर्ष के व्यय अथवा दायित्व की पूर्ति के लिए निधियां वैध विनियोजन या पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और बाद के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए विनियोजन के अधीन और मंजूरी शर्तों के अधीन प्रभावी रहती हैं।

6. <u>व्यय की मंजूरी</u> :

6.1.1 परियोजना, योजना अथवा परियोजना के किसी भाग का निर्माण करने वाली योजना संबंधी कार्य पर व्यय की मंजूरी :

शामिल व्यय की मात्रा को ध्यान में रखे बिना किसी परियोजना, योजना अथवा परियोजना के किसी भाग का निर्माण करने वाली योजना संबंधी कार्य पर व्यय को मंजूरी प्रदान करने का अंतरिक्ष के पास अधिकार होगा, बशर्ते कि एक विशिष्ट प्रस्ताव के आधार पर वित्त सदस्य अथवा अंतरिक्ष आयोग अथवा मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त की गई हो और वैध विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन के द्वारा निधियां उपलब्ध कराई गई हों। बशर्ते कि किसी परियोजना, योजना अथवा योजना संबंधी कार्य के मामले में अनुमानित लागत ₹100.00 करोड़ से अधिक नहीं, तो ऐसी परियोजना, योजना अथवा किसी योजना संबंधी कार्य पर अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अंतरिक्ष विभाग के परामर्श से बिना वित्त सदस्य के पास भेजे व्यय को मंजूरी प्रदान करने का अधिकार सचिव, अंतरिक्ष विभाग के पास होगा। यदि अनुमानित लागत ₹100.00 करोड़ से अधिक हो और ₹500.00 करोड़ तक एवं उससे कम हो तो, विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। यदि अनुमानित लागत ₹500.00 करोड़ से अधिक हो और ₹1000.00 करोड़ तक एवं उससे कम हो तो, अंतरिक्ष आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि अनुमानित लागत ₹1000.00 करोड़ से अधिक है तो अंतरिक्ष आयोग की स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस मामले में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची–II के क्रम सं. 7** में दी गई है।

सक्षम प्राधिकारी के पास किसी प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व ₹100.00 करोड़ से ऊपर की लागत वाली सभी नई परियोजनाओं की संवीक्षा परियोजना संवीक्षा समिति (एस पी ए सी) द्वारा की जाएगी।

₹100.00 करोड़ तक की लागत वाली परियोजनाओं की एस पी ए सी-।। द्वारा संवीक्षा की जाएगी।

6.1.2 प्रमुख कार्यों पर व्यय की मंजूरी

शामिल व्यय की मात्रा पर विचार किए बिना किसी प्रमुख कार्य पर व्यय को मंजूरी प्रदान करने का अंतरिक्ष विभाग को अधिकार होगा, बशर्ते कि एक विशिष्ट प्रस्ताव के आधार पर वित्त सदस्य अथवा अंतरिक्ष आयोग अथवा मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त की गई हो और वैध विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन द्वारा निधियां उपलब्ध कराई गई हों। यदि किसी कार्य की अनुमानित लागत ₹100.00 करोड़ से अधिक नहीं है तो ऐसे प्रमुख कार्य को वित्त सदस्य के पास भेजे बिना अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अंतरिक्ष विभाग के परामर्श से सचिव अंतरिक्ष विभाग को व्यय की मंजूरी का अधिकार होगा। यदि अनुमानित लागत ₹100.00 करोड़ से अधिक है और ₹500.00 करोड़ तक एवं उससे कम है तो विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। यदि अनुमानित लागत ₹500.00 करोड़ से अधिक है और ₹1000.00 करोड़ तक एवं उससे कम है तो अंतरिक्ष आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि अनुमानित लागत ₹1000.00 करोड़ से अधिक है

तो अंतरिक्ष आयोग की स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची-II के क्रम सं. 8** में दी गई है।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची-VII के क्रम सं. 2** में दिखाई गई है।

6.1.3 भूमि एवं भवनों के अधिग्रहण पर व्यय की मंजूरी

शामिल व्यय की मात्रा पर ध्यान दिए बिना भूमि और भवनों के अधिग्रहण पर व्यय करने का अंतरिक्ष विभाग के पास अधिकार होगा, बशर्ते कि एक विशिष्ट प्रस्ताव के आधार पर वित्त सदस्य अथवा अंतरिक्ष आयोग अथवा मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त की गई हो और वैध विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन के द्वारा निधियां उपलब्ध कराई गई हो। यदि कार्य की अनुमानित लागत ₹15.00 करोड़ से कम है तो इसे वित्त सदस्य के पास भेजे बिना अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अंतरिक्ष विभाग के परामर्श से सचिव, अंतरिक्ष विभाग को भूमि एवं भवनों के ऐसे व्यय को मंजूरी प्रदान करने का अधिकार होगा। यदि अनुमानित लागत ₹15.00 करोड़ से अधिक है और ₹500.00 करोड़ तक एवं उससे कम है तो विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। यदि अनुमानित लागत ₹1000.00 करोड़ से अधिक है तो अंतरिक्ष आयोग की स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची-II के क्रम सं. 9** में दिखाई गई है।

6.1.4 यदि भूमि एवं भवनों के अधिग्रहण संबंधी परियोजना अथवा योजना अथवा प्रमुख कार्यों के मौलिक कार्य क्षेत्र में काफी बदलाव करने जैसा प्रभाव पड़ता हो तो उस प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना किसी व्यय को मंजूरी नहीं दी जा सकती जिसने मौलिक रूप से भूमि एवं भवनों के अधिग्रहण संबंधी उस परियोजना अथवा योजना अथवा प्रमुख कार्य को अनुमोदन प्रदान किया है।

6.1.5 सभी कार्यों के संबंध में इस नियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग संहिता के लिए लागू नियमों के अधीन अथवा समय-समय पर वित्त सदस्य की सहमति से अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी तदनुरूपी नियमों के अधीन होंगी।

6.1.6 **संशोधित लागत अनुमान (आर.सी.ई.) :**

परियोजनाओं/योजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों (आर.सी.ई.) के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा :-

(i) अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, अं.वि. की सहमति से सचिव, अं.वि. के पास आर.सी.ई. के निम्नलिखित मामलों को अनुमोदित करने के अधिकार होंगे बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव का एस.पी.ए.सी./सक्षम संवीक्षा निकाय द्वारा संवीक्षा की गयी हो।

(क) मूल अनुमोदित समय चक्र के तहत सांविधिक उगाहियों, विनिमय दर परिवर्तन एवं मूल्य वृद्धि के कारण लागतों में कोई वृद्धि; और/या

(ख) किसी अन्य कारण की वजह से लागतों में वृद्धि 20% तक है।

(ii) यदि समय निकल जाने, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, निम्न-आंकलन, आदि [उपरोक्त (i) में दिए गए कारणों को छोड़कर] की वजह से लागतों में वृद्धि निर्धारित लागत अनुमानों के 20% से अधिक है तो इसे इस उद्देश्य हेतु विभाग द्वारा गठित संशोधित लागत समिति (आर.सी.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो ऐसी वृद्धि, पहचान खामियों, यदि कोई हों, के पीछे विशेष कारणों की पहचान करेगी और उसके लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देगी। आर.सी.सी. की सिफारिशें नई परियोजना के संबंध में लागू वर्तमान शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा पुन: संवीक्षा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

6.1.7 **लघु कार्यों के लिए व्यय की मंजूरी :**

जारी की गई प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरियों के अधीन निधियों का विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन की क्रिया लघु कार्यों पर व्यय करने हेतु मंजूरी के रूप में प्रचालित होगी। अंतरिक्ष विभाग के पास इस संबंध में व्यय करने का पूरा अधिकार होगा।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची-VII के क्रम सं. 3** में दी गई है।

6.1.8 **परियोजना, योजना अथवा किसी परियोजना का निर्माण करने वाली योजना के लिए भंडार सामग्रियों एवं उपकरणों पर व्यय की मंजूरी**

किसी परियोजना, योजना अथवा किसी परियोजना का निर्माण करने वाली योजना का निष्पादन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी **उस कार्य** के संपादन हेतु अपेक्षित भंडार सामग्रियों अथवा उपकरण की खरीद पर आवश्यक व्यय करने के लिए मंजूरी का वहन करता है, बशर्ते कि उस परिव्यय की पूर्ति अनुच्छेद 10.3 में निहित उपबंधों के अधीन इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित लागत अनुमानों के लिए किए गए प्रावधान से की जा सके। जहां उसके लिए प्रावधान में वृद्धि करना अवश्यंभावी पाया जाता है, लागत अनुमानों के संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

6.1.9 अंगीभूत इकाई के लिए भंडार सामग्रियों एवं उपकरणों की खरीद पर व्यय की मंजूरी

निधियों की उपलब्धता के अधीन अंगीभूत इकाई के लिए भंडार सामग्रियों और उपकरणों की खरीद के संबंध अंतरिक्ष विभाग को मंजूरी प्रदान करने का पूर्ण अधिकार होगा, बशर्ते कि अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों के लिए ब्यौरेवार मांगों में उन वस्तुओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया हो और यह पैरा 10.3 में निहित उपबंधों के अधीन हो। ऐसे विशेष प्रावधान के नहीं होने की स्थिति में इस प्रकार की भंडार सामग्रियों तथा उपकरणों की मंजूरी प्रदान करने के मामले में अंतरिक्ष विभाग को ₹50.00 लाख का अधिकार होगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची–II के क्रम सं.10** में दिखाई गई है।

6.1.10 छोटे कार्यों के लिए व्यय की मंजूरी

आकस्मिकताओं के नामे डाले जाने वाले छोटे कार्यों को और छोटे कार्यों के नामे डाली जाने वाली भंडार सामग्रियों के मंजूरी प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग आकस्मिक व्यय की मंजूरी के मामले में उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। अंतरिक्ष विभाग को ऐसा व्यय करने का पूरा अधिकार होगा।

नोट : छोटे कार्यों में निम्न कार्य शामिल हैं **:**

(i) सरकारी भवनों में सैनिटरी फिटिंग्स, जल आपूर्ति और विद्युत स्थापनों सहित सरकारी स्वामित्व वाले भवनों की विशेष मरम्मत तथा ऐसे स्थापनाओं की मरम्मत;

(ii) सरकारी भवनों में विशेष मरम्मत;

(iii) किराए पर लिए गए और मांग कर लिए गए भवनों का मरम्मत और बदलाव।

इस मामले में विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची–VII के क्रम सं 4** में दी गई है।

6.1.11 निवेश पूर्व क्रियाकलापों की मंजूरी

अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, अं.वि. की सहमति से सचिव, अं.वि. ₹100.00 करोड़ तक की निवेश-पूर्व गतिविधियों के लिए मंजूरी देने की शक्तियां होंगी बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों तथा सक्षम प्राधिकारी का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया हो। ₹100.00 करोड़ से ऊपर की निवेश-पूर्व गतिविधियों हेतु निर्दिष्ट मूल्यांकन एवं अनुमोदन कार्याविधि का अनुपालन किया जाना चाहिए।

नोट: निवेश–पूर्व क्रियाकलापों से अभिप्राय दिनांक 5.8.2016 के वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 24(35)/पी एफ–II/2012 के पैरा **10** में उल्लेखित क्रियाकलापों से है।

6.2 आकस्मिक और विविध व्यय के बारे में

6.2.1 **शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत**

निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन आकस्मिक अथवा विविध व्यय करने हेतु कोई अधिकार प्राप्त प्राधिकारी अथवा इन नियमों के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा :

(क) वह सामान्य वित्त नियम (जी.एफ.आर.) 2017 के नियम 321 से 324 के संदर्भ में अंतरिक्ष विभाग द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा/करेगी।

(ख) वह **अनुसूची–III** के अनुलग्नक में निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन करेगा/करेगी।

(ग) अंतरिक्ष विभाग और उसकी अंगीभूत इकाइयां लेखन सामग्रियों, कार्यालय उपयंत्रों, आलेख सामग्रियों, विविध कार्यालयीन आवश्यकताओं इत्यादि के लिए मांग क्रय प्रभाग को सौंपेंगे। यदि संबंधित विभागाध्यक्ष यह सम्मत मानता है कि ऐसा करना दक्षता के लिए आवश्यक है अथवा विशेष सौंदर्य संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो छपाई और जिल्द लगाने का कार्य निजी पार्टियों को सौंपा जा सकता है।

(घ) कानूनी कार्यवाहियों में संलग्न सरकारी सेवकों को कानूनी और वित्तीय सहायता के संबंध में उपबंध के मामले में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा आचरण नियमावली में दिए गए संबंधित नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(ङ) विविध व्यय के मामले में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट विशेष आदेशों, प्रतिबंधों अथवा पैमानों का अनुपालन किया जाएगा।

6.2.2 **शक्तियां**

नियम 6.2.1 के उपबंधों के अधीन और अनुसूची-III एवं IV में दिए गए सिद्धांतों के अनुपालन में अंतरिक्ष विभाग आकस्मिक और विविध व्यय के मामले में पूरी शक्तियों का प्रयोग करेगा। विभागाध्यक्ष तथा कार्यालय प्रधान अनुसूची-III एवं IV में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करेगा।

7. मेधा पदोन्नति योजना (एम.पी.एस.) के अंतर्गत पदों के सृजन से संबंधित शक्तियां :

इस संबंध में संशोधित शक्तियों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

8. <u>निम्न स्तर (स्तरों) में पदों का प्रचालन</u>

यह उपबंध बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

9. <u>अनुदानों और सामग्रियों की मंजूरी</u>

अंतरिक्ष विभाग को सहायता अनुदान (छात्रवृत्तियों सहित), अग्रिमों और ऋणों की मंजूरी का पूर्ण अधिकार होगा बशर्ते कि :-

(क) अंतरिक्ष आयोग के अनुमोदन से अथवा वित्त सदस्य के परामर्श से अंतरिक्ष विभाग द्वारा निर्धारित किन्हीं नियमों अथवा सिद्धांतों के अनुरूप ऐसे सहायता-अनुदान, अग्रिम तथा छात्रवृत्तियां होती हैं। ऋणों की मंजूरी के मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों अथवा सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा;

(ख) जब तक कि उस मंत्रालय के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशों में पहले से निर्धारित न हो, ऋणों पर ब्याज की दर और उसके पुनर्भुगतान की अवधि वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति से निर्धारित की जाती है।

(कृपया सा.वि.नि. (जी.एफ.आर.), 2017 – नियम 228 – 263 भी देखें)

10. <u>परामर्शिता सेवाओं के संबंध में भंडार सामग्रियों, प्रमुख कार्यों एवं सेवाओं तथा करारों के लिए ठेकों को अंतिम रूप दिया जाना</u>

10.1 **भंडार सामग्रियों एवं सेवाओं की खरीद के लिए ठेके :**

सार्वजनिक सेवा के लिए भंडार सामग्रियों की खरीद को नियंत्रित करने वाले और निम्नलिखित नियम 10.3 में उल्लेखित शर्तों के अधीन समय-समय पर अंतरिक्ष विभाग की क्रय नियम पुस्तिका के सिद्धांतों के अनुपालन के अधीन अंतरिक्ष विभाग को क्रय का तथा उससे संबंधित ठेके निष्पादित करने का पूरा अधिकार होगा। तथापि, जहां उचित हो, जी.ई.एम. सहित आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डी.जी.एस. एंड.डी.) की एजेंसी का उपयोग किया जाएगा।

10.2 **प्रमुख अथवा लघु कार्यों के लिए ठेके का निष्पादन :**

विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार और नियम 10.3(ख) (i), (ii) एवं (iii) तथा उसके नोट में उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रमुख कार्यों अथवा लघु कार्यों के लिए ठेके का निष्पादन करने हेतु अंतरिक्ष विभाग के पास पूर्ण अधिकार होगा।

10.3 **निविदाओं के माध्यम से भंडार सामग्रियों की प्राप्ति, सेवाओं तथा प्रमुख कार्यों के लिए ठेके के निष्पादन हेतु शर्तें :**

(क) (i) यदि ठेके का मूल्य ₹50.00 करोड़ से अधिक नहीं है तो नीचे नोट (1) में आवृत प्रकारों के अलावा खुला/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से भंडार सामग्रियों की प्राप्ति और सेवाओं के लिए ठेके करने का अंतरिक्ष विभाग के पास पूरा अधिकार होगा। यदि कीमत ₹50.00 करोड़ से अधिक हो जाती है तो विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची-II के क्रम सं. 11** में दी गई है।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियां **अनुसूची–VII के क्रम सं. 5** में दी गई है।

(ii) यदि ठेके की कीमत ₹25.00 करोड़ से अधिक नहीं है, तो भंडार सामग्रियों की प्राप्ति और सेवाओं के लिए ठेका निष्पादित करने का अंतरिक्ष विभाग के पास पूरा अधिकार होगा। यदि ठेके की कीमत ₹25.00 करोड़ से अधिक है तो विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-II के क्रम सं. 12** में दिया गया है।

इस संबंध में विभागाध्यक्षों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची–VII के क्रम सं. 5** में दिया गया है।

(iii) यदि ठेके की कीमत ₹12.00 करोड़ से अधिक नहीं है, तो एकल/परक्रमित, एकायत्त/विशिष्ट ब्राण्ड/एकल स्रोत निविदा के माध्यम से भंडार सामग्रियों की प्राप्ति और सेवाओं के लिए ठेका करने का अंतरिक्ष विभाग को पूरा अधिकार होगा। यदि कीमत ₹12.00 करोड़ से अधिक है, तो विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-II के क्रम सं. 13** में दिया गया है।

इस संबंध में विभागाध्यक्षों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-VII के क्रम सं. 5** में दिया गया है।

(ख) (i) यदि ठेके की कीमत ₹20.00 करोड़ से अधिक नहीं है, तो निम्नलिखित नोट (1) में आवृत मामलों के अलावा खुला/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से किसी प्रमुख कार्य अथवा लघु कार्य के लिए ठेका देने का अंतरिक्ष विभाग को अधिकार होगा। यदि कीमत ₹20.00 करोड़ से अधिक है, तो विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-II के क्रम सं. 14** में दिया गया है।

इस संबंध में विभागाध्यक्षों की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची–VII के क्रम सं. 6** में दिया गया है।

(ii) यदि ठेके की कीमत ₹15.00 करोड़ से अधिक नहीं है, तो सीमित निविदा के माध्यम से किसी प्रमुख कार्य अथवा लघु कार्य के लिए ठेका देने का अंतरिक्ष विभाग को अधिकार होगा। यदि कीमत ₹15.00 करोड़ से अधिक है, तो विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-II के क्रम सं. 15** में दिया गया है।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-VII के क्रम सं. 6** में दिया गया है।

(iii) यदि ठेके की कीमत ₹7.00 करोड़ से अधिक नहीं है, तो एकल/परक्रमित निविदा के माध्यम से किसी प्रमुख कार्य अथवा लघु कार्य के लिए ठेका देने का अंतरिक्ष विभाग को अधिकार होगा। यदि कीमत ₹7.00 करोड़ से अधिक है, तो विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-II के क्रम सं. 16** में दिया गया है।
इस संबंध में विभागाध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-VII के क्रम सं. 6** में दिया गया है।

नोट :

(1) किसी निविदा के आमंत्रण में यदि बोली-पूर्व अर्हताओं अथवा आवश्यकताओं (पंजीकरण के किसी खास वर्ग में शामिल होने अथवा एक निर्धारित कीमत के कार्यों के पूर्व निष्पादन के अलावा) को लागू करने के कारण यदि योग्य निविदाकारों को बोली लगाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो उसे एक सीमित निविदा माना जाएगा, न कि खुला/सार्वजनिक निविदा।

(2) उपर्युक्त 10.3(क)(i), (क)(ii), (क)(iii) और (ख)(i), (ख)(ii), (ख)(iii) के उपबंधों में भंडार सामग्रियों की खरीद और सेवाओं के लिए ठेके को अंतिम रूप देते समय यह नोट किया जाए कि कोई ठेका समय के साथ बढ़ता है और इसके लागू रहने की संपूर्ण अवधि की कुल कीमत उस ठेके में निर्धारित सीमा को लागू करने के उद्देश्य से कीमत के रूप में ली जाएगी।

10.4 समझौता-ज्ञापन (एम ओ यू) एवं परामर्शिता संबंधी ठेके

अंतरिक्ष विभाग के पास भारतीय कंपनियों अथवा विदेशी कंपनियों अथवा विदेशी सरकारों के साथ तकनीकी सहयोग अथवा परामर्शिता सेवाओं के लिए समझौता-ज्ञापन अथवा करार अथवा ठेका करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि परामर्शिता शुल्क ₹4.00 करोड़ से अधिक नहीं हो। यदि अनुमानित मूल्य ₹4.00 करोड़ से अधिक हो जाती है तो विभाग वित्त सदस्य की सहमति प्राप्त करेगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-II के क्रम सं. 17** में दिया गया है।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-VII के क्रम सं. 7** में दिया गया है।

11. अतिसंदायों और हानियों को बट्टे खाते डालना

11.1 बट्टे खाते करने वाली शक्तियों के प्रयोग संबंधी सिद्धांत

11.1.1 (i) हानियों को बट्टे खाते डालने के संबंध में शक्तियों का प्रयोग किया जाए बशर्ते कि यह हानि नियमों अथवा प्रक्रियाओं में किसी त्रुटि के कारण अथवा सरकारी सेवक की गंभीर लापरवाही के कारण न हुई हो। यदि सक्षम प्राधिकारी विभाग से कनिष्ठ हो, और उन मामलों अथवा प्रक्रियाओं की त्रुटि का पता चलता है, तो उन नियमों अथवा प्रक्रियाओं की त्रुटि को सुधारने हेतु प्रथम दृष्टया कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जानी चाहिए। उसके बाद, अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हानि को बट्टे खाते किया जाए।

(ii) वैसे मामलों में जहां गंभीर लापरवाही हुई है, प्रथम दृष्ट्या उन व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए और की गई कार्रवाई की प्रकृति की सूचना अंतरिक्ष विभाग को दी जाए। उसके बाद, अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हानि को बट्टे खाते किया जाए।

(iii) उपर्युक्त (i) एवं (ii) में हुई हानियों की सूचना अगले वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विभाग को भेजी जानी चाहिए।

नोट :

(क) इस पैरा में हानियों का निपटान भौतिक रूप से किया जाता है अथवा जहां बहुमूल्य लेखों का ब्यौरा रखा जाता है, वहां मूल्य ह्रास के माध्यम से हानियों को दर्शाया जाता है।

(ख) अधिशेष, अप्रचलित और अनुप्रयोगी सामग्रियों के मामले में, निम्नलिखित नियम 12 और सा वि नि 33-38 में निहित सिद्धांतों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में इस प्रकार घोषित सामग्रियों को औपचारिक रूप से बट्टे खाते डालने की आवश्यकता नहीं है।

11.1.2 लेखा-परीक्षा द्वारा नामंजूरी की माफी और सरकारी सेवकों द्वारा किए गए अतिसंदायों को बट्टे खाते डालना

समय-समय पर यथा संशोधित निम्नलिखित उपनियम 11.1.3 और वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 17 में निहित सिद्धांतों के अधीन अंतरिक्ष विभाग तथा कोई अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी जिनमें शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं अथवा राष्ट्रपति के विशेष आदेश से दी गई हैं, किसी लेखा-परीक्षा अधिकारी अथवा लेखा अधिकारी द्वारा नामंजूर की गई राशि अथवा निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी सरकारी सेवक को किए गए अति संदाय की वसूली को माफ कर सकता है :-

(क) जहां संबंधित सरकारी सेवक द्वारा नामंजूर राशि की निकासी इस विवेकपूर्ण विश्वास के अंतर्गत की गई हो कि वे उसके हकदार थे और उपर्युक्त प्राधिकारी के मत में यह वसूली उनके लिए आनावश्यक रूप से तकलीफदेह और कष्टदायी होगी।

(ख) यदि प्राधिकारी के मत में वसूली एकदम असंभव हो।

11.1.3 उपर्युक्त प्राधिकारियों को निम्न वसूली की माफी का अधिकारी नहीं होगा :-

(क) वि.नि. 9(21) की परिभाषा के अनुसार वेतन की प्रकृति वाली परिलब्धियां जहां प्रोन्नति अथवा प्रत्यावर्तन की अधिसूचना में विलंब के कारण अधिक निकासी हुई है अथवा जहां भुगतान तिथि के एक वर्ष के बाद लेखा-परीक्षा अधिकारी अथवा लेखा अधिकारी द्वारा नामंजूर किया गया हो;

(ख) जहां वसूली किसी राजपत्रित सरकारी सेवक से संबंधित हो;

(ग) जहां वसूली की जाने वाली राशि संबंधित सरकारी सेवक के 2 माह के वेतन से अधिक न हो।

11.1.4 व्यक्तिगत मामलों में अनियमित व्यय पर की गई आपत्ति अथवा वसूली को माफ करने का अधिकार लेखा अधिकारी के पास उस प्रकार होगा जैसा समय-समय पर अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी सामान्य अथवा विशेष आदेशों में अलग से निर्धारित किया गया हो।

11.1.5 उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति द्वारा देय राशि को इस आधार पर बट्टे खाते किया जाता है कि वह अब सेवा में नहीं है और इसलिए कोई वसूली संभव नहीं है, तो बट्टे खाते की मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी को निरपवाद रूप से यह उपबंध शामिल करना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को यदि बाद में कोई भुगतान देय है तो उसमें से बट्टे-खाते की गई राशि का समायोजन किया जाएगा।

यदि ऐसे व्यक्ति का पुनर्नियोजन होता है और अतिसंदाय की राशि को केवल इस आधार पर बट्टे खाते किया जाता है कि वह बट्टे-खाते करने के समय सरकारी सेवा में नहीं था, न कि वसूली उस व्यक्ति के लिए कष्टदायी होगा, जैसे किसी अन्य उदाहरण के आधार पर, तो सरकार में उनके पुनर्नियोजन के दौरान देय राशि में से बट्टे-खाते की गई राशि का समायोजन किया जाएगा। ऐसी वसूली को सुसाध्य बनाने हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी सरकारी सेवक के पुनर्नियोजन के मामले में इस आशय की एक शर्त डाली जाए कि पूर्व सेवानिवृत्ति की अवधि के संबंध में इस आधार पर बट्टे-खाते की गई राशि कि वह व्यक्ति अब सेवा में नहीं है सहित अतिसंदाय की कोई राशि उन्हें पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान अनुमत्य वेतन भत्ते के समायोजन के माध्यम से वसूली योग्य होगी। सेवानिवृत्त व्यक्ति का नियोजन करने वाला कार्यालय उस व्यक्ति के पुनर्नियोजन के तुरत बाद इस उप-पैरा के संदर्भ में उस कार्यालय से इस बात की जांच करेगा जहां वह व्यक्ति पहले नियोजित था कि क्या उससे कोई राशि वसूली जानी है। किसी व्यक्ति के पनुर्नियोजन की समाप्ति पर अंतिम भुगतान नहीं दिया जाना चाहिए जब तक पुनर्नियोजन करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित न कर ले कि इस उप-पैरा के संदर्भ में समायोजन के लिए कोई राशि नहीं बची है।

11.1.6 अतिसंदाय की संभावना को कम करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से स्वीकृत आपत्ति के कारण आवर्ती प्रकृति वाले किसी खास भुगतान को लेखा–परीक्षा द्वारा अनुमत्य बताए जाने के बाद यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा उस बाबत तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए जब तक सक्षम प्राधिकारी का अंतिम निर्णय प्राप्त न हो जाए। तथापि, अपवाद के मामलों में जहां प्रशासनिक प्राधिकारी इसे सार्वजनिक हित में मानता है, सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक ऐसे भुगतान को अस्थायी रूप में तथा वसूली की शर्त के अधीन जारी रखना चाहिए और यह बात भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से बतायी जानी चाहिए। वह प्राधिकारी जिसके पास मामला अंतिम निर्णय के लिए भेजा गया है, उसे तथ्य बतायी जानी चाहिए कि लेखा–परीक्षा की आपत्तियों के बावजूद भुगतान जारी रखा जा रहा है।

11.2 हानियों के बट्टे–खाते का अधिकार

उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुपालन के अधीन अंतरिक्ष विभाग और विभागाध्यक्ष अनुसूची–VI के विनिर्देशन के अनुसार हानियों को बट्टे–खाते करने के अधिकार का प्रयोग करेगा।

नोट : विभाग और विभागाध्यक्ष की वित्तीय सीमाएं वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम (वि श प्र नि) (डी एफ पी आर) में अनुबद्ध की जानी चाहिए। जहां वर्तमान वित्तीय शक्तियां वि श प्र नि से अधिक हैं, तो उसे ही जारी रखा जा सकता है।

12. अधिशेष, अप्रचलित अथवा अनुपयोगी भंडार सामग्रियों और वाहनों की घोषणा करना

सा.वि.नि. 2017 के नियम 217-223 में निहित सिद्धांतों के अधीन कीमत को ध्यान में रखे बिना अंतरिक्ष विभाग भंडार सामग्रियों को अधिशेष, अप्रचलित अथवा अनुपयोगी घोषित करने हेतु सक्षम है। यदि भंडार सामग्रियों की प्राप्ति में निर्णय की त्रुटि के कारण उनके अधिशेष अप्रचलित अथवा अनुपयोगी होने की परिस्थितियों का पता चलता है, तो हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना और ऐसे मामलों की पुनरावृति को रोकने हेतु निवारक उपाय करना आवश्यक होगा।

अंतरिक्ष विभाग जिन शर्तो अथवा प्रतिबंधों का निर्धारण उचित समझता है उसके अनुसार भंडार सामग्रियों और वाहनों को अधिशेष, अप्रचलित अथवा अनुपयोगी घोषित करने हेतु विभागाध्यक्षों के अधिकारों को विनिर्दिष्ट करेगा।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची–VII के क्रम सं. 8** में दिया गया है।

13 विविध उपबंध

13.1 पूर्व के मामलों में संवर्धित प्रत्यायोजन का लागू किया जाना

इन नियमों के अंतर्गत जब कभी शक्तियां किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती हैं तो पूर्व के मामलों के लिए भी वह प्राधिकारी उन शक्तियों के प्रयोग के लिए सक्षम माना जाएगा। 'पूर्व मामले' से अधिप्राय उस मामले से है जिस पर इस प्रत्यायोजन की तिथि तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, यद्यपि यह मामला उस तिथि से पहले घटित हुआ है। दूसरी ओर, अपने अधिकार की सीमा से अधिक किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए व्यय को अनियमित व्यय माना जाएगा और उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो वास्तविक व्यय के समय पर उस व्यय को करने हेतु सक्षम था उससे कार्योत्तर मंजूरी को जारी करवा कर उसे नियमित किया जाएगा।

13.2 पूंजीगत व्यय के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का लागू होना :

जहां तक अनुसूचियों में आवृत मामलों का प्रश्न है केवल उन मदों को छोड़कर जिसमें शक्तियां विशिष्ट रूप में राजस्व व्यय तक प्रतिबंधित हों, राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त शक्तियों की तरह ही पूंजीगत व्यय के वित्तीय शक्तियां का प्रयोग किया जाएगा।

13.3 अपने कर्तव्यों के अलावा दूसरे पद के "वर्तमान कर्तव्यों" के निर्वहन हेतु नियुक्त किसी अधिकारी की शक्तियां

किसी अधिकारी को यदि अपने पद के अलावा किसी और पद के वर्तमान कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया जाता है तो वह उस पद के नियमित पदधारी में निहित प्रशासनिक अथवा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, किंतु वह संसद द्वारा पारित अधिनियम से सीधे प्राप्त सांविधिक शक्तियों (यथा-आयकर अधिनियम) अथवा संविधान के विविध अनुच्छेदों के अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों और उप-नियमों (यथा, मौलिक नियमावली, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली, सिविल सेवा विनियमन, अंतरिक्ष विभाग की वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका, इत्यादि) का प्रयोग नहीं कर सकता है।

13.4 व्यापार संबंधी प्रचालन

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सभी प्रस्ताव

(क) ऐसी सामग्रियों की खरीद के जो सरकारी खपत के लिए नहीं है, अपितु जनता, राज्य सरकार अथवा किसी प्राधिकारी को बेचे जाने के लिए हैं;

(ख) सरकार के सीधे व्यापार प्रचालनों के संबंध में कीमतों के निर्धारण के लिए हैं; और

(ग) सरकारी कंपनियों और उपक्रमों से हैं, जिसे उनके उत्पादों अथवा सामानों के मूल्य निर्धारण हेतु सरकार के पास भेजा जा सकता है, उन्हें अनुमोदन से पहले सहमति के लिए वित्त सदस्य के पास भेजा जाएगा। तथापि, अनुच्छेद (क) अथवा (ख) के अंतर्गत किसी प्रस्ताव को वित्त सदस्य के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, यदि लेन-देन की कीमत ₹1 करोड़ से कम है।

फिर भी, यदि कीमत ₹50 लाख से अधिक है, तो वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग के परामर्श से विभाग के अधिकार का प्रयोग किया जाएगा।

व्याख्या : इस नियम में "सरकारी कंपनी" का अर्थ है समय-समय पर किए गए संशोधन सहित कंपनी अधिनियम, 1956।

13.5 सरकारी संपत्ति का बीमा

किसी भी सरकारी चल अथवा अचल संपत्ति का बीमा नहीं किया जाएगा। वित्त सदस्य के परामर्श से अंतरिक्ष विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी किसी संपत्ति के बीमा के संबंध में कोई व्यय वहन नहीं किया जाएगा।

तथापि, अंतरिक्ष विभाग निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन सामग्रियों और उपकरणों के बीमा के लिए प्रत्येक मामले में ₹20.00 लाख तक की बीमा-किस्त का व्यय करने हेतु सक्षम होगा:-

(i) बीमा-किस्त का भुगतान राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों को किया जाता है;

(ii) यदि सामग्रियां और उपकरण अंतरराष्ट्रीय अथवा अन्य संगठनों से उधार अथवा सहायता के रूप में प्राप्त किए जाते हैं तथा उस संगठन विशेष के साथ किए गए ठेके अथवा करार की शर्तों के अनुसार उन सामग्रियों अथवा उपकरणों का बीमा कराना आवश्यक है अथवा ऐसा करना अनुमोदित नीति अथवा रिवाज के अनुसार हैं; और

(iii) यदि सामग्रियां और उपकरण कीमती, अत्यंत नाजुक, अत्यंत संवेदनशील, कृत्रिम उपकरण अथवा विदेश से खरीदी गई है और भंगूर प्रकृति की हैं, जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है और जिसके लिए बीमा करना नितांत आवश्यक समझा जाता है।

यदि बीमा-किस्त की अनुमानित व्यय प्रत्येक मामले* में ₹20.00 लाख से अधिक हो जाती है, तो वित्त सदस्य की सहमति से विभाग के अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध में विविध प्राधिकारियों में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची-II के क्रम सं. 18** में दी गई है।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन **अनुसूची-VII के क्रम सं. 9** में दिखया गया है।

* 'प्रत्येक मामले' का अभिप्राय 'किसी खास अवसर पर एक अथवा एक से अधिक विदेशी आपूर्तिकर्ता से की गई खरीद है।

जहां रेलगाड़ी अथवा सड़क से सामानों की बुकिंग के लिए बढ़ी हुई जोखिम दर बतायी जाती है, मालिक के जोखिम दर पर सामानों की बुकिंग के लिए निर्धारित दर के ऊपर अतिरिक्त शुल्क, जो बीमा शुल्क की प्रकृति का है, उसके लिए विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियों से ऊपर व्यय होने की स्थिति में ऐसे अतिरिक्त व्यय के वहन हेतु अंतरिक्ष विभाग का अनुमोदन प्रप्त किया जाएगा।

13.6 भवनों की बिक्री अथवा विखंडन :

अंतरिक्ष विभाग के पास भवनों की बिक्री अथवा विखंडन का पूरा अधिकार होगा।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां **अनुसूची–VII के क्रम सं. 10** में दी गई है।

14 <u>मंजूरी के बारे में बताना</u>

अंतरिक्ष विभाग द्वारा सरकारी पैसे के व्यय अथवा अग्रिम की मंजूरी संबंधी औपचारिक आदेशों की प्रतियां संबंधित लेखा–परीक्षा अधिकारी को भेजी जाएंगी। वित्त सदस्य की सहमति से जारी सभी मंजूरियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा : "यह मंजूरी वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग की सहमति से जारी की गई है।"

15. <u>शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन</u>

अंतरिक्ष विभाग/इसरो की अंगीभूत इकाइयों को पुनर्प्रत्यायोजित शक्तियां नियम 3.2.1 के अनुसार **अनुसूची–VII** में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

*****

अनुसूची – I

अं.वि./इसरो के केंद्रों/यूनिटों के विभागाध्यक्षों की सूची

क्रम सं.	केंद्र/यूनिट का नाम	विभागाध्यक्ष
1	अंतरिक्ष विभाग	सचिव
2	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय	वैज्ञानिक सचिव
3	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र	निदेशक
4	सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र	निदेशक
5	इसरो उपग्रह केंद्र	निदेशक
6	अंतरिक्ष उपयोग केंद्र	निदेशक
7	द्रव नोदन प्रणाली केंद्र	निदेशक
8	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र	निदेशक
9	मुख्य नियंत्रण सुविधा	निदेशक
10	इसरो दूरमिति अनुवर्तन और आदेश संचार जाल	निदेशक
11	इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट	निदेशक
12	विद्युत-प्रकाशिकी प्रणाली प्रयोगशाला	निदेशक
13	विकासात्मक एवं शैक्षिक संचार यूनिट	निदेशक
14	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान	निदेशक
15	इसरो नोदन काम्प्लेक्स	निदेशक

अनुसूची – II

अं.वि./इसरो के विविध प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां

क्र. सं.	नियम सं.	व्यय के मद	सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
1	4.2.6 (ख)	प्रमुख कार्यों पर व्यय में वृद्धि	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वि.स.), अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	मंजूर की गई राशि से 15% अधिक मंजूर की गई राशि के 15% तक	
2	4.2.6 (ङ)	किसी प्रमुख कार्य के लिए पुनर्विनियोजन जिसका बजट में उपबंध नहीं है	संसद (अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से) वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹2.50 करोड़ से ऊपर ₹50.00 लाख से ऊपर और ₹2.50 करोड़ तक ₹50.00 लाख तक	

क्र. सं.	नियम सं.	व्यय के मद	सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
3	4.2.6 (च)	प्रमुख कार्यों के अंतर्गत बजट उपबंध में वृद्धि करने हेतु पुनर्विनियोजन	संसद (अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से) वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹2.50 करोड़ से ऊपर अथवा बजट अनुमान के 10% से अधिक, जो भी कम हो ₹50.00 लाख से ऊपर और ₹2.50 करोड़ तक किंतु बजट अनुमान के 10% से अधिक नहीं हो बजट अनुमान के 10% तक किंतु ₹50.00 लाख से अधिक नहीं हो	
4	4.3. (ख)	नियम 4.2 एवं 4.3 में विर्निदिष्ट शर्तों के अधीन एक 'उप-शीर्ष' से दूसरे 'उप-शीर्ष' को निधियों का पुनर्विनियोजन	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹5.00 करोड़ से ऊपर ₹5.00 करोड़ तक	
5	4.3 (ङ)	विषय शीर्ष 'घरेलू यात्रा व्यय' और 'विदेशी यात्रा व्यय' के अंतर्गत उपबंध में वृद्धि	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	बजट अनुमान के प्रावधान से 10% ऊपर बजट अनुमान के प्रावधान के 10% तक	

क्र. सं.	नियम सं.	व्यय के मद	सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
6	4.3 (ज)	विषय शीर्ष 'प्रमुख कार्य' और 'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत निधियों पुनर्विनियोजन	संसद (अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से)	₹2.50 करोड़ से ऊपर अथवा बजट अनुमान के 10% से अधिक, जो भी कम हो	
			वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.)	₹50.00 लाख से ऊपर और ₹2.50 करोड़ तक किंतु बजट अनुमान के 10% से अधिक नहीं हो	
			अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹50.00 लाख तक किंतु बजट अनुमान के 10% से अधिक नहीं हो	

क्र. सं.	नियम सं.	व्यय के मद	सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
7	6.1.1	परियोजना, योजना अथवा किसी योजना के कार्य पर व्यय की मंजूरी [अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व ₹100.00 करोड़ से ऊपर की लागत वाली सभी नई परियोजनाओं की संवीक्षा परियोजना संवीक्षा समिति (एस. पी.ए.सी.) द्वारा की जाएगी। ₹100.00 करोड़ तक की लागत वाली परियोजनाओं की एस. पी.ए.सी.-II द्वारा संवीक्षा की जाएगी]	मंत्रिमंडल अंतरिक्ष आयोग वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹1000.00 करोड़ से ऊपर ₹500.00 करोड़ से ऊपर और ₹1000.00 करोड़ तक ₹100.00 करोड़ से ऊपर और ₹500.00 करोड़ तक ₹100.00 करोड़ तक	
8	6.1.2	प्रमुख कार्यों पर व्यय की मंजूरी	मंत्रिमंडल अंतरिक्ष आयोग वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹1000.00 करोड़ से ऊपर ₹500.00 करोड़ से ऊपर और ₹1000.00 करोड़ तक ₹100.00 करोड़ से ऊपर और ₹500.00 करोड़ तक ₹100.00 करोड़ तक	

क्र. सं.	नियम सं.	व्यय के मद	सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
9	6.1.3	भूमि एवं भवनों के अधिग्रहण पर व्यय की मंजूरी	मंत्रिमंडल	₹1000.00 करोड़ से ऊपर	
			अंतरिक्ष आयोग	₹500.00 करोड़ से ऊपर और ₹1000.00 करोड़ तक	
			वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि.	₹15.00 करोड़ से ऊपर और ₹500.00 करोड़ तक	
			अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹15.00 करोड़ तक	
10	6.1.9	वैसी भंडार सामग्रियों के लिए पुनर्विनियोजन जिनका बजट में उपबंध नहीं किया गया है	संसद (अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से)	₹2.50 करोड़ से ऊपर	
			वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि.	₹50.00 लाख से ऊपर और ₹2.50 करोड़ तक	
			अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹50.00 लाख तक	

क्र. सं.	नियम सं.	व्यय के मद	सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
11	10.3(क) (i)	खुला/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से भंडार सामग्रियों और सेवाओं की प्राप्ति के लिए ठेका करने का अधिकार	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹50.00 करोड़ से ऊपर ₹50.00 करोड़ तक	
12	10.3(क) (ii)	सीमित निविदा के माध्यम से भंडार सामग्रियों और सेवाओं की प्राप्ति के लिए ठेका करने का अधिकार	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹25.00 करोड़ से ऊपर ₹25.00 करोड़ तक	
13	10.3(क) (iii)	एकल/एकायत्त/परक्रमित निविदा के माध्यम से भंडार सामग्रियों और सेवाओं की प्राप्ति के लिए ठेका करने का अधिकार	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹12.00 करोड़ से ऊपर ₹12.00 करोड़ तक	
14	10.3(ख) (i)	खुला/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से सिविल कार्यों के लिए ठेका देने का अधिकार	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹20.00 करोड़ से ऊपर ₹20.00 करोड़ तक	

क्र. सं.	नियम सं.	व्यय के मद	सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
15	10.3(ख) (ii)	सीमित निविदा के माध्यम से सिविल कार्यों के लिए ठेका देने का अधिकार	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹15.00 करोड़ से ऊपर ₹15.00 करोड़ तक	
16	10.3(क) (iii)	एकल/परक्रमित निविदा के माध्यम से सिविल कार्यों के लिए ठेका देने का अधिकार	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹7.00 करोड़ से ऊपर ₹7.00 करोड़ तक	
17	10.4	भारतीय फर्मों अथवा विदेशी फर्मों अथवा विदेशी सरकारों के साथ तकनीकी सहयोग अथवा परामर्शिता सेवाओं के लिए समझौता-ज्ञापन अथवा करार अथवा ठेका करने का अधिकार	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹4.00 करोड़ से ऊपर ₹4.00 करोड़ तक	
18	13.5	सामग्रियों एवं उपस्करों का बीमा किस्त	वित्त सदस्य की सहमति से सचिव, अं.वि. अपर सचिव एवं वि.स., अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि.	₹20.00 लाख से ऊपर ₹20.00 लाख तक	

अनुसूची – III

आकस्मिक व्यय का वहन करने से संबंधित शक्तियां

(नियम 6.2 देखें)

नोट : इस अनुसूची के अनुलग्नक में दिए गए सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में नियम 6.2 में उपबंधों और निधियों की उपलब्धता के अधीन अंतरिक्ष विभाग और विभागाध्यक्ष के पास आकस्मिक व्यय का वहन करने के मामले में निम्नलिखित तालिका के कालम 2 एवं 3 की तदनुरूपी प्रविष्टि के विनिर्देशन के अनुसार शक्तियां होंगी :-

तालिका

प्राधिकारी	शक्ति की सीमा	
	आवर्ती	अनावर्ती
(1)	(2)	(3)
(i) अंतरिक्ष विभाग	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
(ii) विभागाध्यक्ष	जब तक अनुलग्नक में अन्यथा निर्देशित न हो पूर्ण शक्तियां	जब तक अनुलग्नक में अन्यथा निर्देशित न हो पूर्ण शक्तियां
(iii) कार्यालय प्रधान	प्रत्येक मामले में ₹3,000/- प्रति माह अथवा किसी अन्य आदेश के निर्देशानुसार	प्रत्येक मामले में ₹20,000/-

व्याख्या :

(1) अंतरिक्ष विभाग को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम में जारी औपचारिक मंजूरियों के माध्यम से किया जाना चाहिए और ऐसी मंजूरियों को संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत ऐसा करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

अंतरिक्ष विभाग सचिवालय में अवर सचिव अथ्वा इसकी अंगीभूत इकाई में घोषित समतुल्य अधिकारी राष्ट्रपति के नाम में औपचारिक मंजूरियों को जारी किए बिना उपर्युक्त तालिका में किए गए निर्देशन की सीमा तक आकस्मिक व्यय को मंजूरी प्रदान कर सकता है।

(2) आवर्ती आकस्मिक व्यय के बारे में 'प्रत्येक मामले में प्रति वर्ष' का अभिप्राय 'प्रत्येक प्रकार का व्यय' है, उदाहरणार्थ, यदि कोई अधिकारी प्रत्येक मामले में मरम्मत के लिए प्रतिमाह ₹3,000/- तक के व्यय की मंजूरी के लिए समर्थ है तो वह मरम्मत पर माह के दौरान कितने भी अवसरों पर व्यय करने में समर्थ होगा, किंतु यह व्यय उस माह के लिए ₹3,000/- की सीमा के अधीन होगा।

अनावर्ती आकस्मिक व्यय के बारे में 'प्रत्येक मामला' से 'प्रत्येक अवसर पर' अभिप्राय है। यदि किसी खास अवसर पर फर्नीचर की अनेक वस्तुएं खरीदी जानी हैं, तो मंजूर करने वाले प्राधिकारी की शक्तियों की गणना उस अवसर पर खरीदे जाने वाले फर्नीचर के वस्तुओं के कुल मूल्य के प्रति निर्देश से की जानी चाहिए, न कि फर्नीचर की अलग-अलग वस्तुओं, यथा मेजों, कुर्सियों, रैकों इत्यादि के बारे में जारी निदेश से। इस प्रकार, यदि कोई प्राधिकारी प्रत्येक मामले में ₹20,000/- तक फर्नीचर की खरीद पर व्यय करने हेतु सक्षम है तो वह प्रत्येक अवसर पर विविध फर्नीचर सामग्रियों की खरीद के लिए ₹20,000/- तक की मूल्य के व्यय हेतु सक्षम होगा।

आकस्मिक व्यय के नामे डाली जाने वाली संपूर्ण नहीं, किंतु एक उदाहरणात्मक वस्तुओं की सूची नीचे दी गई है :

साईकिलों की खरीद; वाहन किराए पर लेना; विद्युत; गैस; जल; प्रभार; उपस्कर एवं सज्जा-सामग्री की खरीद और मरम्मत; वहन-शुल्क; विलंब-शुल्क और घाट-शुल्क; कार्यालय फर्नीचर और उपकरण किराए पर लेना; विधि-शुल्क; सरकारी एवं कार्यशील वाहनों का रख-रखाव; नगर-दर और कर; छोटे कार्य और मरम्मत; डाक-शुल्क; मुद्रण और जिल्दसाजी; प्रकाशन; कार्यालय हेतु आवास और आंशिक रूप से कार्यालय तथा आंशिक रूप से आवास के रूप में प्रयुक्त भवन का किराय; मशीनरी की मरम्मत और उसका अपसारण (जहां व्यय पूंजीगत प्रकृति का नहीं है), आकस्मिक निधि से भुगतान किया जाने वाला स्टॉफ; लेखन-सामग्री वाले भंडार सामग्रियों की खरीद; भंडार सामग्रियां; टेलीफोन शुल्क; तंबू और शिविर वाले फर्नीचर; टाइपराइटर, परिकलन मशीन; वर्दी, इत्यादि।

अनुसूची-III का अनुलग्नक

1. **सवारी भाड़े पर लेना**

(i) *राजपत्रित अधिकारियों के लिए* : किसी राजपत्रित सरकारी सेवक को स्टाफ कार के उपलब्ध न होने पर किसी टैक्सी अथवा सवारी में अपने मुख्यालय के शहर की नगरपालिका की सीमाओं के अंदर सार्वजनिक हित में यात्रा करने पर उसके द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए वाहन भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

परंतु, जहां ऐसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता भी अनुज्ञेय है, वहां अधिकारी के पास इन नियमों के अधीन वाहन भाड़े की प्रतिपूर्ति का दावा करने अथवा यात्रा भत्ता नियमों के अधीन यात्रा भत्ता लेने का विकल्प होगा।

परंतु वाहन भाड़े की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(क) यदि एक से अधिक अधिकारी को सरकारी ड्यूटी पर किसी स्थान पर जाना है तो जहां तक संभव हो वे एक साथ वाहन में जा सकते हैं;

(ख) सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि उस राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई यात्रा के लिए स्टाफ कार उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान अपने लिए टैक्सी अथवा अन्य वाहन भाड़े की प्रतिपूर्ति को मंजूर कर सकता है;

(ii) अराजपत्रित अधिकारियों के लिए : वाहन भाड़े की प्रतिपूर्ति किसी अराजपत्रित सरकारी सेवक को की जा सकती है जिसे (i) अपने कार्यालय से कुछ दूरी पर स्थित किसी स्थान पर ड्यूटी सौंपी गई हो, अथवा (ii) किसी राजपत्रित अधिकारी के विशेष आदेश से सामान्य कार्य समय के बाहर कार्यालय बुलाया गया हो।

परंतु, जहां ऐसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता भी अनुज्ञेय है, वहां सरकारी सेवक के पास इन नियमों के अधीन वाहन भाड़े की प्रतिपूर्ति का दावा करने अथवा यात्रा भत्ता नियमों के अधीन यात्रा भत्ता लेने का विकल्प होगा।

प्रत्येक केंद्र/इकाई/परियोजना के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों टैक्सी किराए के बाबत प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि प्रतिमाह ₹5,000/- से अधिक नहीं होगी।
राजपत्रित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं के लिए टैक्सियां भाड़े पर लेने में अथवा अराजपत्रित अधिकारियों को इस प्रकार टैक्सियां भाड़े पर लेने की अनुज्ञा देने में अतिसावधानीपूर्वक मितव्ययिता बरतेंगे।

(iii) *विभागीय उपयोग के लिए :* जब विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं हो तो वाहन भाड़े पर लिए जा सकते हैं।

(iv) राजकीय अतिथियों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु : जब स्टाफ कार उपलब्ध नहीं हो तो किसी राजकीय अतिथि के लिए टैक्सियां भाड़े पर ली जा सकती हैं।

(v) अंतर राज्य/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए : जब आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्टाफ कार पर्याप्त नहीं हो तो अंतर-राज्य/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए टैक्सियां भाड़े पर ली जा सकती हैं।

सामान्य नोट :-

(क) किसी एक माह में किसी एक राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सरकारी सेवक को वाहन भाड़े के बाबत प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि ₹3,00/- से अधिक नहीं होगी।

(ख) किसी राजपत्रित सरकारी सेवक को टैक्सी अथवा अन्य वाहन शुल्क की प्रतिपूर्ति को मंजूर करने का अधिकार केवल उन अधिकारियों में निहित होगा जिनमें ऐसे अधिकार विशेष रूप से प्रत्यायोजित किए गए हों।

(ग) किसी अराजपत्रित सरकारी सेवक को वाहन शुल्क की प्रतिपूर्ति को मंजूर करने का अधिकार केवल कार्यालय प्रधान अथवा विभाग द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के पास होगा।

(घ) मामले की अत्यावश्यकता और आवश्यकताओं से संगत तथा समय और धन की दृष्टि से मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपूरणीय वाहन भाड़ा, यथासाध्य ऐसी सर्वाधिक सस्ती एवं व्यावहारिक परिवहन प्रणालियों के जरिए होगा।

(ङ) यदि किसी सरकारी सेवक को कार्यालय समय के बाद अथवा कार्यालय समय के प्रारंभ होने से दो घंटे अधिक पहले ड्यूटी पर बुलाया जाता है अथवा सामान्य कार्य के घंटों से परे दो घंटे से अधिक समय तक कार्यालय में रोका जाता है तो उसे वास्तविक टैक्सी अथवा अन्य वाहन भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाए बशर्ते कि उसे कार्यालय में देर तक रुकने के लिए कोई पारिश्रमिक न मिलता हो अथवा उसके पास अपनी सवारी न हो अथवा वह अपने वाहन का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हो।

2. माल भाड़ा और विलंब-शुल्क/घाट-शुल्क

विभागाध्यक्ष को माल भाड़ा, विलंब-शुल्क/घाट-शुल्क और पत्तन प्रबंध देय की मंजूरी का पूरा अधिकार होगा। कार्यालय प्रधान के पास विलंब-शुल्क/घाट-शुल्क की मंजूरी के लिए प्रत्येक मामले में ₹5,000/- तक वहन-शुल्क प्रभार को मंजूर करने का पूरा अधिकार होगा।

भंडार सामग्रियां जो सामान्यत: समुद्री मार्ग से ले जाई जानी चाहिए थी उन्हें आपूर्ति में विलंब के कारण अथवा अत्यावश्यकता की दृष्टि से यदि हवाई मोड से ले जाया जाता है और माल भाड़ा-शुल्क एवं विलंब-शुल्क/घाट-शुल्क ₹1000/- से अधिक है, तो इस पर किए गए व्यय की तिमाही रिपोर्टों की सूचना अंतरिक्ष विभाग को भेजी जानी चाहिए।

3. विधि–शुल्क

(i) विधिवक्ताओं, अभिवक्ताओं, मध्यस्थों और निर्णयकों को फीस :

अंगीभूत इकाइयों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय (एम ओ एल जे) के पैनल में से परामर्शदाता नियुक्त करना आवश्यक होगा और एम ओ एल जे द्वारा जारी वर्तमान निर्देशों के अनुसार विधिवक्तओं, अभिवक्ताओं, मध्यस्थों और निर्णयकों की फीस होगी। किसी सरकारी अभिवक्ता को यदि कोई अग्रिम दिया जाता है, तो वह समय–समय पर सा.वि.नि. 2017 के नियम 324 के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। कानून और न्याय मंत्रालय के पैनल से अलग परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए विभाग/कानून और न्याय मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) ***अन्य कानूनी शुल्क :***

(क) मुकदमा अथवा अभियोजन के मामले :

(1) मुकदमा अथवा अभियोग चलाने की मंजूरी के लिए निहित शक्तियों वाले प्राधिकारियों के मामले में	:	पूर्ण अधिकार
(2) अन्य	:	प्रत्येक मामले में ₹5,000/–

अभियोग अथवा कानूनी मुकदमा चलाने का अधिकार अंतरिक्ष विभाग अथवा तत्काल किसी कानून, नियम अथवा आदेशों के अंतर्गत विभाग की ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास होगा।

(ख) *मध्यस्थता के मामले* **:**

(1) प्राधिकारी जिनके पास में मध्यस्थता के मामले भेजने का अधिकार निहित है	:	पूर्ण अधिकार
(2) अन्य	:	प्रत्येक मामले में ₹10,000/- । यदि प्रत्येक मामले की राशि ₹5000/– से अधिक हो जाती है तो वित्तीय सलाहकार, अंतरिक्ष विभाग के परामर्श से इस अधिकार का प्रयोग किया जाएगा।

मध्यस्थता के लिए निदेश राष्ट्रपति के नाम में और ऐसे अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा जो संविधान के अनुच्छेद 77(2) के अधीन ऐसे निर्देश देने के लिए सक्षम हैं अथवा किसी कानून, नियम अथवा आदेशों के अंतर्गत उनकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी हों।

(iii) *सरकारी सेवकों द्वारा उनके सरकारी कर्तव्यों से उत्पन्न होने वाले मामले में वहन किए गए कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति :*

न्यायालय के आदेशों अथवा मध्यस्थता अधिकरणों के पंचाटों की तुष्टि में किया गया भुगतान 'कानूनी शुल्क' नहीं है अपितु 'विविध व्यय' है और इसे अनुसूची–IV के उपबंधों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। हालांकि सिविल कार्यों के लिए किए गए ऐसे भुगतान को प्रमुख कार्य संबंधी व्यय माना जाएगा।

4. मोटर वाहन :

(i) **स्टाफ कारें एवं प्रचालनात्मक वाहनों की खरीद :**

(क) <u>प्रतिस्थापन वाहन</u>

अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि. निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिस्थापन वाहनों (स्टॉफ कार एवं प्रचालनात्मक वाहनों दोनों) की खरीद हेतु मंजूरी प्रदान कर सकते हैं:-

(i) ऐसे वाहन, जिन्हें अनुपयोगी घोषित किया जाना है, जिनके एवज में वाहन खरीदे जा रहे हैं; डी.एफ.पी.आर. में अनुपयोगी घोषित किए जाने के निर्धारित मानदंड पूरा करते हों;

(ii) वाहन की खरीद हेतु विशेष बजट प्रावधान उपलब्ध हो;

(iii) डी.एफ.पी.आर. द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारियों या अं.वि. की अनुपयोगी घोषित करने वाली समिति से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि अनुपयोगी घोषित किए जाने वाला वाहन भावी आर्थिक (मितव्ययी) उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं है तथा अनुपयोगी घोषित करने के लिए उपयुक्त है।

(iv) उस समय लागू वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययी अनुदेशों पर आधारित हो;

(v) स्टॉफ कारों की खरीद से संबंधित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर आधारित हो;

(vi) प्रचालनात्मक वाहनों का प्रतिस्थापन ''समान प्रकृति के वाहनों'' के आधार पर हो ।

उपरोक्त शर्तें पूरा न करने के मामले में, प्रस्ताव पर वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग की सहमति की आवश्यकता होगी।

(ख) <u>अतिरिक्त वाहनों हेतु</u>

अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, अं.वि. के परामर्श से सचिव, अं.वि. निम्नलिखित शर्तों पर अतिरिक्त (नये) वाहनों (स्टॉफ कार एवं प्रचालनात्मक वाहन दोनों) की खरीद की मंजूरी प्रदान कर सकते हैं:-

(i) वाहन की खरीद हेतु विशेष बजट प्रावधान उपलब्ध हो;

(ii) उस समय लागू वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययी अनुदेशों पर आधारित हो;

(iii) स्टॉफ कारों की खरीद से संबंधित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर आधारित हो;

उपरोक्त शर्तें पूरा न करने के मामले में, प्रस्ताव पर वित्त सदस्य, अंतरिक्ष आयोग की सहमति की आवश्यकता होगी।

(ii) **अनुरक्षण, समारक्षण और मरम्मत :** विभागाध्यक्ष को पूर्ण अधिकार हैं।

5. नगरपालिका की दर और कर : विभागाध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है।

यह व्यय, समय-समय पर वित्त मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

6 छोटे कार्य और मरम्मत

किराए पर लिए गए भवनों में छोटे कार्यों और मरम्मत पर व्यय तभी किया जाएगा जब मकान मालिक स्वयं इन प्रभारों की पूर्ति करने से इंकार कर देता है तथा जब मकान छोड़ा जाता है सरकारके पास उस भवन में लगाए गए किसी संस्थापन अथवा सामग्री को हटाने का अधिकार है।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के बारे में **अनुसूची-VII के क्रम सं. 4** में सूचित किया गया है।

7. डाक प्रभार

(i) डाक प्रभार के भुगतान हेतु पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष में निहित है। विदेशों में भेजे जाने वाले पत्रों और वस्तुओं के लिए आवश्यकता के अलावा किसी गैर-सेवा स्टांपों के लिए आकस्मिक व्यय में से किसी शुल्क की निकासी नहीं की जाएगी।

नोट : (क) सरकारी सेवकों से उनके छुट्टी, वेतन, स्थानांतरण, छुट्टी वेतन, आयकर, निधि अभिदानों और अन्य सदृश्य मामले सरकारी नहीं, अपितु निजी हैं तथा इन्हें सरकारी व्यय पर नहीं भेजा जाएगा।

(ख) जहां स्थापना का व्यय दो शीर्षों में विभाजित है, वहां डाक व्यय को उसी अनुपात में विभाजित किया जाएगा।

(ii) हवाई परेषण द्वारा पत्रों और अन्य प्रकार के संदेशों के प्रेषण पर किए गए व्यय को डाक प्रभार तथा हवाई मोड में भेजी गई सामग्रियों को माल भाड़ा प्रभार माना जाएगा।

8. किराया

सामान्य कार्यालयी आवास : समय-समय पर अंतरिक्ष विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन।

रिहायशी आवास : इस शर्त के अधीन है कि जहां निजी आवास को पूरी तरह रिहायशी अथवा कार्यालय-सह-आवास के उद्देश्य से किराए पर लिया जाता है तो स्थिति के अनुसार रिहायश के लिए अथवा रिहायशी हिस्से के लिए सरकार द्वारा मकान मालिक को देय किराया जिस श्रेणी के अधिकारी के लिए मकान लिया गया है उससे वि नि 45-क-IV (ख) के अंतर्गत वसूले जाने योग्य लाइसेंस शुल्क तथा उस अधिकारी की सामान्य हकदारी के अनुसार सरकार द्वारा यदि मकान किराया भत्ते का कोई बचत किया जाता है, उस राशि से अधिक नहीं होगा। वैसे मामले में जहां ऐसे आवास के लिए देय किराया उस राशि से अधिक हो जाता है तो वित्त सदस्य का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

9. भंडार सामग्रियां

आकस्मिक निधि में डाले जाने योग्य किसी कार्य के लिए अपेक्षित भंडार सामग्रियां: कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से उस कार्य को करने के लिए अपेक्षित भंडार सामग्रियों की खरीद पर किए गए आवश्यक व्यय की मंजूरी शामिल है।

10. वर्दियों, बिल्लों और अन्य वसतुओं, वस्त्रों आदि की आपूर्ति तथा धुलाई भत्ता

(i) जब तक किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा अन्यथा प्राधिकृत न किया जाए, किसी श्रेणी के सरकारी सेवकों को वर्दियों तथा वस्त्र की अन्य वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ii) अंतरिक्ष विभाग की अनुमति से अंगीभूत इकाइयों के प्रधानों द्वारा बनाए गए नियमों अथवा आदेशों के द्वारा पैमाने और शर्तें नियंत्रित की जाएंगी और ये प्रधान ऐसे नियमों अथवा आदेशों में निम्न बातों का उल्लेख करेंगे :-

(क) स्टाफ की श्रेणियां निर्दिष्ट करेंगे जिन्हें इन वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी;

(ख) वर्दियों तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अंतराल बताएंगे; और

(ग) प्रत्येक वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित करेंगे।

11. दूरभाष/मोबाइल/इंटरनेट प्रभार

विभागाध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग/इसरो द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार कार्यालय में तथा आवास पर दूरभाष/मोबाइल/इंटरनेट प्रभारों का उपबंध करने हेतु इस अधिकार का प्रयोग करेंगे।

विभागाध्यक्ष स्वत: अंतर-संचार दूरभाष प्रणाली अथवा ऐसी किसी अन्य प्रणाली के अंतर्गत कनेक्शन के संस्थापन में भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

*****

अनुसूची – IV

विविध व्यय के वहन से संबंधित शक्तियां
(*नियम 6.2 देखें*)

नोट : मनोरंजन और किन्हीं शासकीय समारोहों पर व्यय का वहन किया जाना, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य अनुदेशों के अधीन होगा।

प्राधिकारी	अधिकतम सीमा जहां तक प्रत्येक पृथक मद पर व्यय मंजूर किया जा सकेगा।	
	आवर्ती	अनावर्ती
(1)	(2)	(3)
अंतरिक्ष विभाग	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
विभागाध्यक्ष	₹10,000/- प्रति वर्ष	₹40,000/-

अनुसूची – V

मेधा प्रोन्नति योजना (एम पी एस) के अंतर्गत पदों के सृजन से संबंधित शक्तियां
(*नियम-7 देखें*)

इस संबंध में संशोधित शक्तियां बाद में अधिसूचित की जाएंगी।

अनुसूची – VI

हानियों को बट्टे खाते डाले जाने से संबंधित शक्तियां
(*नियम 11 देखें*)

हानि की प्रकृति	प्राधिकारी	आर्थिक सीमा, जहां तक हानि को प्रत्येक मामले में बट्टे खाते डाला जा सकता है
(1)	(2)	(3)
भंडारों की या सार्वजनिक धन की गैर–वसूली योग्य हानियां		
(क) चोरी, धोखा अथवा लापरवाही के कारण के अलावा भंडारों की हानि के लिए	विभागाध्यक्ष	₹50,000/- तक
	अंतरिक्ष विभाग	₹5.00 करोड़ तक
	वित्त सदस्य	₹5.00 करोड़ से ऊपर
(ख) अन्य मामलों में	अंतरिक्ष विभाग	₹2.00 लाख तक
	वित्त सदस्य	₹2.00 लाख से ऊपर
राजस्व की हानि या गैर–वसूली योग्य ॠण और अग्रिम	विभागाध्यक्ष	₹20,000/- तक *
	अंतरिक्ष विभाग	₹1.00 लाख तक
	वित्त सदस्य	₹1.00 लाख से ऊपर
स्टॉक और अन्य लेखाओं में सम्मिलित किए गए भंडारों के मूल्य में कमियां ओर अवक्षयन	अंतरिक्ष विभाग	₹5.00 करोड़ तक
	वित्त सदस्य	₹5.00 करोड़ से ऊपर

नोट : * इस अनुसूची के उद्देश्य के लिए भंडार सामग्रियों का मूल्य "अंकित मूल्य" होगा जहां कीमत के अनुसार लेखे रखे जाते हैं तथा अन्य मामलों में "प्रतिस्थापन मूल्य" होगा।

भंडार सामग्रियों की अशोध्य हानियों, लेखों में कमियों तथा अवक्षयन के बारे में इस अनुसूची में प्रयुक्त "प्रत्येक मामला" शब्द की व्याख्या किसी खास समय के संदर्भ में की जानी चाहिए। यदि किसी खास अवसर पर अनेक भंडार सामग्रियों को बट्टे खाते डाला जाना है तो उसे मंजूर करने वाले प्राधिकारी के अधिकार की गणना उस खेप की अलग-अलग वस्तुओं के संदर्भ में न करके उस अवसर पर बट्टे खाते की जाने वाली भंडार सामग्रियों के कुल मूल्य के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस संदर्भ में एक घटना से उत्पन्न होने वाली हानियों को उच्चतर प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए विभाजित नहीं किया जाना चाहिए तथा भिन्न-भिन्न तारीखों में अलग-अलग बट्टे खाते नहीं किया जाना चाहिए। आग लगने, चोरी, बाढ़ इत्यादि जैसे विशिष्ट कारण से हुई हानियों को एक साथ ही बट्टे खाते डाला जाना चाहिए। तथापि, एक से अधिक कारण से हुई हानि को एक साथ बट्टे खाते डाले जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। हानि को बट्टे खाते डालने हेतु अधिकारी की सक्षमता प्रत्येक बार बट्टे खाते डाली जाने वाली राशि पर निर्भर करेगी।

*****

अनुसूची – VII
विभागाध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन
(*नियम 15 देखें*)

क्र.सं.	नियम सं.	व्यय की मदें	विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
1	4.3	किसी उपशीर्ष के अंदर एक 'मद शीर्ष' से दूसरे 'मद शीर्ष' में निधियों का पुनर्विनियोजन	नियम 4.2 एवं 4.3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन पूर्ण शक्तियां हैं, यदि 'योजना' एवं 'गैर-योजना' के अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित सीमा का अतिक्रमण नहीं किया जाता है।	
2	6.1.2	प्रमुख कार्यों के लिए व्यय की मंजूरी (क) वी एस एस सी/एल पी एस सी/एस डी एस सी-शार/आइजेक/सैक/एन आर एस सी के केंद्र निदेशक (ख) एम सी एफ/लियोस/इस्ट्रैक/डेकू/आई आई एस यू/आई पी आर सी/आई आई आर एस/इसरो मु.* इकाई के निदेशक	 ₹10.00 करोड़ तक ₹5.00 करोड़ तक	
3	6.1.7	लघु कार्यों के लिए व्यय की मंजूरी	राजस्व शीर्ष में डाले जाने वाले व्यय के संदर्भ में प्रत्येक मामले में ₹25.00 लाख तक बशर्ते कि इस कार्य को अनुमोदित बजट में शामिल किया गया हो।	

* निदेशक, सी.ई.पी.ओ.

क्र.सं.	नियम सं.	व्यय के मद	विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
4	6.1.10	छोटे कार्यों के लिए व्यय की मंजूरी (क) अनुरक्षण एवं मरम्मत	राजस्व में डाले जाने योग्य व्यय के मामले में पूर्ण शक्तियां (अंतरिक्ष विभाग की वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका के अनुसार अंतरिक्ष विभाग को यथा उपलब्ध)	
	6.1.10 एवं अनुसूची–III के अनुलग्नक में क्रम. सं. 6	(ख) किराए पर लिए गए/मांग कर लिए गए भवन का विस्तार एवं बदलाव	राजस्व शीर्ष में डाले जाने वाले व्यय के मामले में प्रत्येक भवन के लिए ₹5.00 लाख तक	
5	10.3 (क) (i)	निविदा के माध्यम से भंडार सामग्रियों एवं सेवाओं की प्राप्ति खुला/सार्वजनिक निविदा (क) वी एस एस सी/एल पी एस सी/एस डी एस सी–शार/आइजेक/सैक/एन आर एस सी के केंद्र निदेशक	₹15.00 करोड़	
		(ख) एम सी एफ/लियोस/इस्ट्रैक/डेकू/आई आई एस यू/आई पी आर सी/आई आई आर एस/इसरो मु.* इकाई के निदेशक	₹10.00 करोड़	

* वैज्ञानिक सचिव

क्र.सं.	नियम सं.	व्यय के मद	विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
5 (जारी)	10.3 (क) (ii)	निविदा के माध्यम से भंडार सामग्रियों एवं सेवाओं की प्राप्ति सीमित निविदा		
		(क) वी एस एस सी/एल पी एस सी/ एस डी एस सी – शार/ आइजेक/सैक/ एन आर एस सी/ इसरो मु.* के केंद्र निदेशक	₹6.00 करोड़	
		(ख) एम सी एफ/ लियोस/इस्ट्रैक/ डेकू/ आई आई एस यू/ आई पी आर सी/ आई आई आर एस/इसरो मु. * इकाई के निदेशक	₹4.00 करोड़	
	(iii)	एकल/परक्रमित, एकायत्त/विशिष्ट ब्राण्ड/एकल स्रोत निविदा		
		(क) वी एस एस सी/एल पी एस सी/एस डी एस सी–शार/ आइजेक/सैक/एन आर एस सी के केंद्र निदेशक	₹4.00 करोड़	
		(ख) एम सी एफ/ लियोस/इस्ट्रैक/डेकू/आई आई एस.यू/ आई पी आर सी/आई आई आर एस/इसरो मु.* इकाई के निदेशक	₹2.00 करोड़	

* वैज्ञानिक सचिव

क्र.सं.	नियम सं.	व्यय के मद	विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
6	10.3 (ख) (i)	निविदा के माध्यम से प्रमुख कार्यों/लघु कार्यों के लिए ठेका दिया जाना खुला/सार्वजनिक निविदा (क) वी एस एस सी/एल पी एस सी/एस डी एस सी -शार/आइजेक/सैक/एन आर एस सी के केंद्र निदेशक (ख) एम सी एफ/लियोस/इस्ट्रैक/डेकू/आई आई एस यू/आई पी आर सी/आई आई आर एस /इसरो मु.* इकाई के निदेशक	₹5.00 करोड़ ₹3.00 करोड़	
	(ii)	सीमित निविदा (क) वी एस एस सी/एल पी एस सी/एस डी एस सी-शार/आइजेक/सैक/एन आर एस सी के केंद्र निदेशक (ख) एम सी एफ/लियोस/इस्ट्रैक/डेकू/आई आई एस यू/ आई पी आर सी/आई आई आर एस/इसरो मु.* इकाई के निदेशक	₹5.00 करोड़ ₹3.00 करोड़	
	(iii)	एकल/परक्रमित निविदा (क) वी एस एस सी/एल पी एस सी/एस डी एस सी -शार/आइजेक/सैक/एन आर एस सी के केंद्र निदेशक (ख) एम सी एफ/लियोस/इस्ट्रैक/डेकू/आई आई एस यू/आई पी आर सी/आई आई आर एस/इसरो मु.* इकाई के निदेशक	₹2.50 करोड़ ₹2.00 करोड़	

* निदेशक, सी.ई.पी.ओ.

क्र.सं.	नियम सं.	व्यय के मद	विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
7	10.4	समझौता-ज्ञापन (एम ओ यू) परामर्श संबंधी ठेके भारतीय कंपनियों अथवा विदेशी कंपनियों अथवा विदेशी सरकारों के साथ तकनीकी सहयोग अथवा परामर्शिता सेवाओं के लिए कोई करार अथवा ठेका	प्रत्येक स्थिति में ₹50.00 लाख तक	
8	12	अधिशेष, अप्रचलित अथवा अनुपयोगी भंडार सामग्रियों और वाहनों की घोषणा करना (क) भंडार सामग्रियों के मामले में	₹5.00 लाख तक	i) निपटारे के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अधिशेष, अप्रचलित अथवा अनुपयोगी भंडार सामग्रियों और वाहनों का निपटारा किया जाएगा। ii) केंद्रों/यूनिटों की संभावित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्रों/यूनिटों के बीच ऐसी अधिशेष वस्तुओं की सूची जारी करना भी आवश्यक है। iii) जिन परिस्थितियों में भंडार सामग्रियां अधिशेष, अप्रचलित अथवा अनुपयोगी हो गई हैं, उनकी प्राप्ति के निर्णय में यदि किसी गंभीर त्रुटि का पता चलता है तो भंडार सामग्रियों की हानि के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना और ऐसे मामलों की पुनरावृति को रोकने हेतु निवारक उपाय करना आवश्यक होगा।

क्र.सं.	नियम सं.	व्यय के मद	विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियां	अभ्युक्तियां
8 (जारी)		(ख) वाहनों को अनुपयोगी घोषित करने के संबंध में	₹5.00 लाख तक	iv) अधिशेष, अप्रचलित अथवा अनुपयोगी भंडार सामग्रियों की घोषणा सा वि नि 196-202 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन होगी। i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन की मरम्मत नहीं की जा सकती और मरम्मत तथा खराब पुर्जों को बदलने पर उचित व्यय के बाद भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे वाहन को रखना उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसके रख-रखाव का खर्च अत्यधिक है। iii) यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वाहन अनुपयोगी घोषित किए जाने के लिए अंतरिक्ष विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। वाहन को अनुपयोगी घोषित करने के संबंध में निर्धारित मानदंडों में किसी प्रकार की छुट के लिए विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। iv) अनुपयोगी घोषित करने से पहले इस संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9	13.5	सरकारी सामग्रियों और उपस्कारों का बीमा	₹20,000/-	

10	13.6	सरकारी भवनों और अस्थायी संरचनाओं की बिक्री तथा उन्हें गिराया जाना		
		(क) स्थायी भवन	₹25.00 लाख (कबाड़ी मूल्य)	
		(ख) अस्थायी संरचना [जिसकी कालावधि 2 वर्षों से अधिक नहीं है]	पूर्ण शक्तियां	

नोट : अं.वि./इसरो के केंद्रों/इकाईयों/कार्यालयों के विभागाध्यक्षों द्वारा अं.वि. की वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका में निर्धारित शर्तों अथवा अं.वि. द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

परिशिष्ट

आंतरिक वित्त संबंधी कार्य

आंतरिक वित्त संबंधी कार्य में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

अंतरिक्ष विभाग के वित्तीय सलाहकार के कार्य :

प्राथमिक कार्य

(i) वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और उसके लिए निर्धारित समय-अनुसूची के अनुसार बजट तैयार करना।

(ii) अंतरिक्ष विभाग द्वारा बजट प्रस्ताव अंतरिक्ष आयोग को पेश किए जाने के पूर्व उनकी संवीक्षा।

(iii) अंतरिक्ष आयोग द्वारा यथा अनुमोदित बजट का वित्त मंत्रालय को भेजा जाना।

(iv) सामान्य वित्त नियम के अधीन आवश्यकताओं के अनुसार विभाग तथा अंगीभूत इकाइयों द्वारा विभागीय लेखों/रजिस्टरों के रख-रखाव की समस्त गुणवत्ता का सामान्य पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु और उस रूप में जिससे अं.वि. को आकंड़े प्राप्त होंगे और उससे (क) अनुदानों और विनियोजनों के बदले व्यय की निगरानी और प्रगति की समीक्षा (ख) खाता विकलनों की प्राप्ति पर निगरानी रखी जाएगी (ग) यथार्थपरक संशोधित अनुमानों की तैयारी होगी (घ) प्रत्याशित बचतों का समय से अभ्यर्पण सुनिश्चित होगा और (ङ) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ई-भुगतान का कार्यान्वयन किया जाएगा।

(v) अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के प्रस्तावों की जाँच।

(vi) पदों के सृजन के लिए विद्यमान विशेष बचत की पहचान करना।

2. सलाह संबंधी कार्य

अंतरिक्ष विभाग की प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत आने वाले मामलों में सलाह

3. विशेष कार्य

(i) वित्तीय सलाहकार बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी रहते हुए बेहतर बजट बनाने हेतु और 'मदवार' से 'व्यय के बजटीय नियंत्रण' को सुसाध्य बनाने हेतु बजट की तैयारी में और अधिक विश्लेषणात्मक इंपुट शामिल करने हेतु प्रयास करेंगे।

(ii) वि. स. बजट परिणाम की तैयारी में भी सक्रिय रूप से संलग्न होंगे ताकि स्पष्टत: निर्धारण योग्य और निगरानी योग्य परिणामों की परिभाषा तय करने और एक अभीष्ट परिणाम की वास्तविक प्राप्ति में प्रशासनिक मंत्रालयों की मदद कर सकें।

(iii) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2003 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग के साथ सरकार को संसद में अपनी स्थिति के बारे में प्रकटीकरण देना आवश्यक है। वित्तीय सलाहकार वित्त मंत्रालय द्वारा कुल मिला कर संकलित किए गए समेकित विवरणों में शामिल करने हेतु अं.वि./इसरो के संबंध में इन विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iv) जहां वि. स. व्यय प्रबंधन और नकद प्रबंधन हेतु उत्तरदायी बने रहेंगे ताकि नकद व्यय/प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में मासिक नकद प्रवाह का प्रभावी रूप में मानीटरन करके बेहतर तरीके से व्यय प्रबंधन किया जा सके। वित्तीय सलाहकार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सहायता-अनुदान प्राप्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/अन्य एजेंसियों को निधियां योजना-वार/परियोजना-वार उपयोगिता प्रमाण-पत्र और विगत वर्षों में लेखा परिक्षीत व्यय के अनुसार जारी की जाती हैं।

(v) वित्तीय सलाहकार को अपेक्षित परिश्रम से अं.वि./इसरो की विविध परियोजनओं की उच्च गुणवत्ता संवीक्षा तथा मूल्यांकन सुनिश्चित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

(vi) वित्तीय सलाहकार अं.वि./इसरो की इष्टतमी गैर-कर प्राप्त बजट तैयार करेंगे।

(vii) वित्तीय सलाहकार अंतरिक्ष विभाग के केंद्रीकृत आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध (सी आई ए डब्ल्यू) की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।

(viii) वित्तीय सलाहकार खरीदी और ठेके के बारे में वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उचित परिश्रम तथा कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मजबूत आंतरिक प्रणालियों की स्थापना में सहायक होंगे।

(ix) वित्तीय सलाहकार तंत्र की दृष्टि से अं.वि./इसरो की विविध परियोजनाओं/कार्यक्रमों के वित्तीय प्रबंधन की आवधिक रूप से समीक्षा करेंगे और वित्तीय प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु समुचित कार्रवाई करेंगे।

(x) वित्तीय सलाहकार अं.वि./इसरो के अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी का संवर्धित उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

4. सहायता के क्षेत्र

वित्तीय सलाहकार निम्नलिखित कार्य करेंगे :

(क) वहां सहायता प्रदान करेगा, जहां वित्त सदस्य की सहमति के लिए निर्देशित किए गए व्यय प्रस्तावों की संवीक्षा में अंतरिक्ष विभाग द्वारा उसकी अपेक्षा की जाए।

(ख) अंतरिक्ष विभाग को सहायता प्रदान करेगा, जहां (क) लेखा परीक्षा आपत्तियों का निपटारा करने, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा-परीक्षा पैराग्राफों में, तथा (ख) लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, विनियोजन लेखाओं, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने में उसकी अपेक्षा की जाएगी।

किंतु इन विषयों के बारे में प्राथमिक उत्तरदायित्व एक प्रशासनिक कार्य है।

यह वांछनीय है कि वित्तीय सलाहकार को योजनाओं और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के तैयार किए जाने में उनके आरंभिक चरण से तथा परियोजनाओं और योजनाओं की प्रगति और निष्पादन के मूल्यांकन से सहबद्ध किया जाना चाहिए, जिससे कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि ऐसे अध्ययनों के परिणामों को बजट को बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

****

सी.12034/3/2017-अनु.3
अंतरिक्ष विभाग
भारत सरकार

अंतरिक्ष भवन
बेंगलूर – 560231

24 जुलाई, 2016

कार्यालय आदेश

विषय: **रु. 100 करोड़ तक की लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति - ।। (एस.पी.ए.सी.-।।) के गठन के बारे में।**

अं.वि. की वित्त शक्ति पुस्तिका (पांचवा संस्करण) के नियम 6.1.1 (पैरा 2) के लिए जारी संशोधन के बारे में दिनांक 10.03.2017 के का.ज्ञा. सं. बी.12017/5/2012-अनु.2 (भाग-।।) के संदर्भ में, रु. 100 करोड़ तक की लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति-।। (एस.पी.ए.सी.-।।) का गठन किया जाता है।

1.	अपर सचिव, अंतरिक्ष विभाग	अध्यक्ष
2.	वैज्ञानिक सचिव, इसरो	सदस्य
3.	निदेशक (परियोजना), अंतरिक्ष विभाग	सदस्य
4.	निदेशक, सी.ई.पी.ओ.	सदस्य
5.	संबंधित कार्यक्रम कार्यालय के निदेशक, इसरो मु.	सदस्य
6.	अं.वि. के संबंधित केंद्रों/यूनिटों के सह निदेशक	सदस्य
7.	सह निदेशक, बी.ई.ए.	सदस्य सचिव

2. यह समिति, इस संबंध में समय-समय पर वित्त मंत्रालय एवं नीति आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित मसौदा परियोजना रिपोर्ट के साथ परियोजनाओं/योजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। समिति के अध्यक्ष, समिति के समक्ष लाए गए किसी भी विशेष मामले को निपटाने हेतु सदस्यों/ आमंत्रितों के रूप में अतिरिक्त विशेषज्ञों, यदि आवश्यक हो, को सह-योजित कर सकते हैं।

3. समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से आयोजित बैठक का कार्यवृत्त अं.वि. की वित्त शक्ति पुस्तिका के नियम 6.1.1 के अनुसार परियोजनाओं/योजनाओं हेतु सचिव, अं.वि. की मंजूरी प्राप्त करने हेतु कार्यसूची के साथ संलग्न किया जाएगा।

4. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

हस्ता/-
(एम. शंकर)
निदेशक (परियोजना)

सेवा में: समित कि अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:

1. अं.वि./इसरो के सभी केंद्रों/यूनिटों के निदेशक
2. वैज्ञानिक सचिव, इसरो मु.
3. सी.एम.डी., एंट्रिक्स
4. एस.सी.एन.पी.ओ./एल.वी.पी.ओ./ई.ओ.एस./एस.एस.ओ./सी.ई.पी.ओ., इसरो मु.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सदस्य (वित्त), अंतरिक्ष आयोग का कार्यालय
2. निदेशक (बजट), अंतरिक्ष विभाग का कार्यालय

मी.19013/87/2016-अनु.3
अंतरिक्ष विभाग
भारत सरकार
***

बेंगलूर – 560231

27 सितंबर, 2016

कार्यालय आदेश

विषय: संशोधित लागत समिति (आर.सी.सी.) के गठन के बारे में।

अं.वि. की वित्त शक्ति पुस्तिका, 2016 के नियम 6.1.6 (ii) के संबंध में, अंतरिक्ष विभाग में संशोधित लागत आंकलनों (आर.सी.ई.) की समीक्षा करने हेतु निम्नांकित रूप से संशोधित लागत समिति (आर.सी.सी.) का गठन किया जाता है।

i).	अपर सचिव एवं वि.स.	-	अध्यक्ष
ii).	निदेशक (परियोजना)	-	सदस्य
iii).	सह निदेशक, बी.ई.ए., इसरो मु.	-	सदस्य
iv).	परियोजना/कार्यक्रम निदेशक (संबंधित)	-	सदस्य
v).	अवर सचिव (परियोजना), अं.वि.	-	सदस्य – सचिव

2. यह समिति, मूल्यांकन हेतु स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति (एस.पी.ए.सी.) की आर.सी.ई. पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी।

हस्ता/-
(आ.सी. किरण कुमार)
सचिव

सेवा में: वितरणप सूची के अनुसार

सं. 12034/27/2011-III
अंतरिक्ष विभाग
भारत सरकार
******

अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलूर – 560231

08 जनवरी, 2016

कार्यालय आदेश

विषय: अंतरिक्ष आयोग/मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावों के लिए स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति (एस.पी.ए.सी.) का गठन - पुनर्गठन के बारे में।

******

श्री एच.एन. मधुसूदन, सह वैज्ञानिक सचिव, इसरो/संयोजक, एस.पी.ए.सी. की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, दिनांक 22.07.2014 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा गठित स्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति (एस.पी.ए.सी.) तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है:-

1.	सचिव, अंतरिक्ष विभाग	अध्यक्ष
2.	इसरो/ अं.वि. के संबंधित केंद्रों/यूनिटों के निदेशक	सदस्य
3.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, अंतरिक्ष विभाग	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (प्रशा.), अंतरिक्ष विभाग	सदस्य
5.	वैज्ञानिक सचिव, इसरो	सदस्य
6.	संबंधित कार्यक्रम कार्यालय के निदेशक, इसरो मु.	सदस्य
7.	निदेशक (परियोजना), अंतरिक्ष विभाग	सदस्य
8.	सह निदेशक, बी.ई.ए.	सदस्य एवं संयोजक
9.	संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग	आमंत्रित
10.	नीति आयोग, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	आमंत्रित

2. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-
(ए. विजय आनंद)
अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, अं.वि.

सेवा में: समित के अध्यक्ष, सदस्य, संयोजक एवं आमंत्रित

प्रतिलिपि:

1. इसरो परिषद के सदस्य
2. कार्यक्रम कार्यालय इसरो मुख्यालय के निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सी.ई.ओ., नीति आयोग, नई दिल्ली
2. सदस्य (वित्त), अंतरिक्ष आयोग